पंचायत एवं ग्रामीण विकास

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)

mnn'; &

केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजना (75:25) 1 अप्रैल 99 से प्रारंभ योजना में स्वसहायता समूह का गठन, प्रशिक्षण, ऋण तथा अनुदान अनुदान देते हुए ग्रामीण गरीबो को स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर तीन वर्षो में प्रति स्वरोजगारी 2000/–रूपए प्रति माह सुनिश्चित करवाना है। (पूर्ववर्ती छः कार्यक्रमों –ट्राइसेम, ड्वकारा, सिट्रा, गांव कल्याण, आई.आर.डी.पी. तथा दस लाख कुआं योजना को समहित करके योजना का निर्माण)।

Ikk=rk&

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला 10 से 20 व्यक्तियों का समुह/व्यक्तिगत ग्रामीण गरीब, परंतु सिंचाई या विकलांगों के 5 व्यक्तियों का समूह। समूह गठन हेतु बी.पी.एल. परिवार के 80 प्रतिशत एवं ए.पी.एल. परिवार के 20 प्रतिशत हो सकते है।

feyu okyk ykHk &

योजना के अंतर्गत अनुदान परियोजना के प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक नही होगा यह राशि अधिकतम 7500 होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000 रुपये होगी। समूह के लिये अनुदान राशि कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम एक लाख 25 हजार होगी। सिंचाई परियोजना के लिये अनुदान की कोई सीमा नही है। चयनित स्वरोजगारी/समूह को मूलभूत एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

lid ,o vkonu ifØ;k &

सादे कागज पर ग्राम पंचायत के सचिव/सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत को आवेदन कर संपर्क किया जा सकता है।

ukV & उपरोक्त एस.जी.एस.वाय. योजना का नाम परिवर्तन कर *jk"Vh; xzkeh.k vkthfodk fe'ku* (NRLM) कर दिया गया है, जिसमें एस.जी.एस.वाय.के सभी प्रावधानों को शामिल करते हुये ग्राम पंचायत स्तर पर स्व–सहायता समूह के द्वारा 2014 तक 50 प्रतिशत महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

———0———

इंदिरा आवास योजना (IAY)

mnns'; &

योजना का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में आवासहीन परिवारो को शत प्रतिशत सहायता प्रदान कर आवास उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत नवीन आवास हेतु 35 हजार एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रु. 38,500 राशि का प्रावधान है।

आवास के उन्नयन (कच्चे से पक्का) हेतु 17000/– का प्रावधान सभी क्षेत्रों के लिये है।

Ikk=rk &

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार जो अत्याचार से पीडित है, तथा प्राकृतिक आपदा से बेघर हुये गरीब परिवार, मिलने वाले लाभ, नवीन आवास निर्माण हेतु 35 हजार की अनुदान सहायता 3 प्रतिशत विकलांगों हेतु आरक्षित है। आई.ए.वाय. हेतु प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत कच्चे आवासों के उन्नयन हेतु उपयोग किया जा सकता है। *Vhi &* 26 जनवरी 2007 से वर्ष 2002 में सर्वेक्षण आवासहीन परिवारों की प्रतीक्षा सूची से केवल नवीन आवासों के लिये सहायता दिया जा रहा है।

vkosnu dh izfØ;k&

सादे कागज पर आवास हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन ग्राम पंचायत को देना पड़ता है।

p;u izfØ;k &

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बी.पी.एल.सूची के द्वारा।

lid &

ग्राम/जनपद पंचायत ।

———0———

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

mnn'; &

- कार्यक्रम का उद्देश्य 1000 से अधिक की आबादी वाली प्रत्येक बसाहट तथा 500 से अधिक की आबादी वाली प्रत्येक बसाहट को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है।
- पहाडी राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों सहित मरु क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में इनका उददेश्य 250 तथा इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। प्रत्येक जिले को जिला ग्रामीण सड़क योजना तथा सड़कों का कोर नेटवर्क तैयार करना होगा।
- इस योजना में लगभग 1,70,000 बसावटों को शामिल किया जाएगा। जल निकासी के लिये आड़ी–तिरछी नालियों के साथ अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिये 76,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 3,70,000 कि.मी. लंबाई का सड़क संपर्क मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा, जहॉ कही भी जरुरत होगी, कोर नेटवक्र में आने वाली सड़कों का उन्नयन किया जावेगा।

  पंचायत से संसद तक के निर्वाचित प्रतिनिधि कोर नेटवर्क के अनुमोदन और सड़क कार्यो के चयन से संबद्व है। 1000 या इससे अधिक की आबादी वाली बसाहटों को पहले प्राथमिकता देते हुये प्रत्येक जिले में सड़क कार्यो की वरीयता निर्धारित करने के लिये स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये है।
- पी.एम.जी.एस.वाय. सड़कों की गुणवत्ता का निर्धारण भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा तैयार की गई ग्रामीण सड़क नियमावली में निहित विनिर्दशनों के अनुसार किया जाता है।
- गुणवत्ता आश्वासन एक त्रि–स्तरीय प्रणाली द्वारा किया जाता है।
- ठेकेदारों को कदम–कदम पर कार्य के परीक्षण के लिये फील्ड स्तर की प्रयोगशालाओं का रख–रखाव करना होता है एवं दूसरे स्तर पर गुणवत्ता समन्वयकर्ता गुणवत्ता नियंत्रण रखेगें।
- स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटर गुणवत्ता का सुनिश्चय करने के लिये सड़कों का निरीक्षण करते है।

Ikk=rk &

500 से अधिक जनसंख्या वाले गॉंव, 250 से अधिक पहाडी/रेगिस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में ।

l\i dl &

जिला/जनपद स्तर पर पदस्थ कार्यपालन/सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY

———0———

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF)

mnn'; &

- स्थानीय आधारभूत ढॉचे और विकास संबंधी आवश्यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़ना।
- पंचायत और नगरपालिका स्तर की शासन व्यवस्था को क्षमता विकास के माध्यम से सुदृढ़ करना।
- स्थानीय निकायों को सहभागितापूर्ण नियोजन क्रियान्वयन एवं निगरानी में तकनीकी सहयोग देना।
- पंचायत के कार्यो के निष्पादन में होने वाली कमियों को दूर करना।

ftyk dk /ku jkf'k dk forj.k dk ekun.M &

- प्रत्येक जिले को 10 करोड़ रुपये की एक न्यूनतम राशि दी जायेगी।
- योजना के अंतर्गत बाकी की राशि पिछड़े जिलों के जनसंख्या के आधार पर दी जाएगी।

fd;kWo;u ,tUlh &

- छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा को छोड़कर 15 जिलों में संचालित।
- जिला योजना समिति योजनाओं के पारित होने के पश्चात आवश्यक कार्यो को बी.आर.जी. एफ. अंतर्गत लिया जाना है।
- उक्त कार्यो को 7 क्षेत्रों के अंतर्गत लिया जाना है।

  1. शिक्षा 2. स्वास्थ्य 3. आजीविका 4. आधारभूत संरचना 5. नागरिक अधिकार 6. ऊर्जा 7. पोषण आहार ।
- इन क्षेत्रकों के कार्यो को पंचायतों, जनपदों एवं विभागानुसार किया जाना है। अतः क्रियान्वयन एजेन्सी कार्य अनुसार होगी।

lid &

- सभी प्रकार के कार्यो की जानकारी जिला पंचायत के बी.आर.जी.एफ. प्रभारी के पास उपलब्ध है।
- क्षमता विकास का कार्य जनपद स्तर के पंचायत संसाधन केन्द्रों में किया जाना है। जो कि सेटकाम के माध्यम से एस.आई.आर.डी. से जुडा हुआ है।
- ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत।

–––0–––

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना (RGSY)

mnn'; &

छत्तीसगढ़ राज्य के 15 बी.आर.जी.एफ. जिलों को छोड़कर 3 जिलों दुर्ग, रायपुर एवं जांजगीर–चांपा में संचालित योजना के तहत स्थानीय आधारभूत ढॉचे और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं पंचायत और नगरीय निकाय के शासन व्यवस्था को क्षमता विकास के माध्यम से मजबूत करना तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायत के कार्यो में सहभागिता नियोजन क्रियान्वयन एवं निगरानी में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

fØ;kUo;u ,tUlh &

जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत।

lid&

आर.जी.एस.वाय प्रभारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत स्तर।

———0———

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम. पी. – 2008)

mnn'; &

पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का एक विशेष स्थान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और मिट्टी के संरक्षण और संवर्धन के साथ–साथ आजीविका मूलक गतिविधियों को लेकर समुदाय की सहभागिता से समग्र विकास के लक्ष्य के साथ सूखा प्रभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) लोगों के बीच हमेशा से लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। वर्ष 1994 में, हनुमंत राव समिति के सुझावों के उपरांत मार्गदर्शिका एवं 2001 एवं 2003 के ''हरियाली मार्गदर्शिका'' के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में निर्बाद रूप से ग्रामीण विकास को सार्थक दिशा प्रदान कर रहा है।

पिछले अनुभव के आधार पर भू–जल के पुर्नभरण, पर्याप्त राशि की उपलब्धता, विभिन्न योजनाओं से समेकन जैसे उभरते मुद्दों के कारण नये मार्गदर्शी सिद्धांत की आवश्यकता प्रतीत की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में हमारी मुख्य चुनौती देश को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए नवम्बर, 2006 में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) का एन.आर.ए.ए. का गठन किया गया। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्र विकास, कुशल जल प्रबंधन सतत् विकास के प्रमुख आयाम है। इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों के विश्लेषण से परिणाम आधे–अधूरे एवं अपर्याप्त पाये गये। परियोजनाओं के परिणाम को सार्थक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों का योजना के साथ समन्वित करने के उद्देश्य से जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत हेतु प्रयास कर एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम .पी.– 2008) के नाम से नई मार्गदर्शिका लोकार्पित हुई जो भारत शासन के सभी विभागों/मंत्रालयों के सभी जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए लागू होंगे। इस हेतु केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय नोडल इकाई एजेन्सी राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी तथा जिले स्तर पर जिला जलग्रहण क्षेत्र विकास एजेन्सी कार्यरत रहेगी।

जिला स्तर पर जिला पंचायतें जिला जलग्रहण क्षेत्र विकास एजेन्सी एवं जिला आयोजना समिति (डी.पी.सी) के साथ मिलकर कार्य करेगी। डी.पी.सी. जलग्रहण क्षेत्र विकास की वार्षिक योजना को अनुमोदित करेगी एवं जिला योजनाओं के साथ समेकित करेगी। जनपद पंचायतें अपने विषय विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना इकाईयों एवं ग्राम स्तरीय जलग्रहण समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (पी.आई.ए.) के माध्यम से सुनिश्चि होगा। पी.आई.ए. के प्रमुख परियोजना अधिकारी होंगे, जिनकी सहायता के लिए अलग–अलग विषय विशेषज्ञों को शामिल कर वाटरसेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) का गठन होगा। जो ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय जलग्रहण समिति (डब्ल्यू.सी.), विभिन्न समूहों एवं लोगों को तकनिकी ज्ञान एवं परियोजना से लाभ प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ग्राम स्तर पर प्रत्येक जलग्रहण समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के मार्गदर्शन में क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

जलग्रहण क्षेत्र विकास हेतु 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का एक मिली वाटरशेड होगा। इसके अन्तर्गत 500 हेक्टेयर का माइक्रो वाटरशेड होगा, जो सामान्यतः किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के बराबर होगा। परियोजनाओं में विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रति हेक्टेयर राशि रू. 12 हजार का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन निम्नानुसार 3 चरणों में पूरा किया जा सकेगा –

pj.k	uke	vof/k
I	प्रारंभिक चरण	1 से 2 वर्ष
II	वाटरशेड कार्य चरण	2 से 3 वर्ष
III	समेकन और निवर्तन चरण	1 से 2 वर्ष

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम. पी. – 2008) हेतु परियोजनाऐं जिला पंचायतों के द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के लिए तैयार कर राज्य स्तरीय नोडल एजन्सी को प्रेषित किया जाता है। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त होने पर परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी की देख–रेख में जिलों मे परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।

l|i dl &

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

–––0–––

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)

यह योजना जिले के समस्त ग्रामों के लिये है, इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति लाना है जिससे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें।

mnns'; &

ग्राम में निवासरत गरीबी रेखा से उपर वाले ग्रामीणों में जनजागरण के साथ–साथ निजी शौचालय निर्माण करने हेतु जागरूकता लाना है, शौचालय निर्माण हेतु संपूर्ण जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग से प्राप्त की जा सकेगी। ग्राम में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीणों के घरों में निजी शौचालय निर्माण हेतु (जमीन सतह तक) शौचालय की कुल लागत रूपये 2500/– का 12 प्रतिशत राशि स्वयं ग्रामीण द्वारा नगदी, सामग्री या मजदूरी के रूप में दिये जाने पर एवं ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात् शेष राशि 2200/– जिला जल एवं स्वच्छता समिति के खाते से निकालकर दी जावेगी, जिससे ग्रामीण स्वतः या ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

स्कूलो में शौचालय निर्माण हेतु केन्द्र : राज्य : व्यक्तिगत/संस्था का 70 : 30 : 00 प्रतिशत राशि ग्राम जल व स्वच्छता समिति द्वारा जन सहयोग से प्राप्त कर बैंक में जमा कर उसकी छाया प्रति व आवेदन प्रेषित करें जिससे योजना की स्वीकृत जिला स्तर से प्राप्त कर व राज्य से राशि प्राप्त कर आपके उपरोक्त बैंक खाते में जमा कराई जावेगी व कार्यो का संपादन ग्राम की जल व स्वच्छता समिति स्वयं करेगी, इस कार्य की कुल लागत रूपये 20,000/–है।

lai.kZ LoPNrk vfHk;ku ds vrxr 'kkSpky; ykxr ,o vuqnku

en	dqy ykxr :-	fgrxkgh :-	dsUnz 'kklu :-	jkT; 'kklu :-	12 oka for
0;fDrxr ikfjokfjd ch-ih-,y-	2500/–	300/–	700/–	1500/–	–
0;fDrxr ikfjokfjd 'kkSpky; ,-ih-,y-	2500/–	600/–	–	–	1900/–
'kkyk 'kkSpky;	20000/–	–	–	14000/–	6000/–
vkxuckMh 'kkSpky;	5000/–	–	3500/–	1500/	
lkeqnkf;d 'kkSpky;	2,0,000/–	20,000/–	1,40,00/–	40,000/–	

lai dZ &

1. ग्राम पंचायत की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से
2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप मैकेनिक से
3. सहायक यंत्री/उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खंड तथा उपखंड कार्यालय

———0———

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिये वर्ष 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारंभ किया गया।

mnn'; &

- इस योजना के तहत शत प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण एवं पूर्णरुपेण उपयोग करके खुले में शौच की प्रथा से ग्राम को मुक्त कराना।
- स्कूल व आंगनबाडी में शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता की अच्छी आदतों के निर्माण का अभियान चलाना।
- व्यक्तिगत स्वच्छता के लिये व्यवहार परिवर्तन का अभियान, विशेषकर शौच के बाद एवं खाना खाने के पूर्व हाथ धोने पर जोर देना।
- पेयजल की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिये रखरखाव के तरीकों में सुधार।
- गंदे जल एवं कुडे करकट के निपटान की उचित व्यवस्था करना।
- संपूर्ण ग्राम के स्तर पर वातावरण की स्वच्छता–स्वच्छ व्यवस्थित सड़के बाग बगीचे इत्यादि।

ipk;rk dk ikRlkgu jkf'k

fuely xke ipk;r tl ifr"Bki.k lEeku l egkefge jk"Vifr }kjk lEekfur fd;k tkrk gA

पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर प्रोत्साहन निम्नानुसार राशि दी जाती है।

राशि लाख रू. में

fooj.k	xke ipk;r					Cykd ipk;r		ftyk ipk;r	
जनसंख्या का आधार	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	10000 से अधिक	50000 लाख तक	50000 लाख अधिक	10 तक	10 से
अधिक पंचायती राज संस्था	0.50	1.00	2.00	4.00	5.00	10.00	20.00	30.00	50.00

fØ;kUo;u ,tUlh &

ग्राम पंचायत।

lid &

सहायक यंत्री, पी.एच.ई विभाग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

पंचायत एवं समाज कल्याण

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- fØ;kUo;u ,tUlh – शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
- dk;{k= – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
- ;ktuk dk mnn'; – निराश्रित वृद्वजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मापूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग करना।
- fgrxkfg;k dh ik=rk – 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्व
- feyu oky ykHk – 300/– प्रतिमाह
- vkonu dh ifØ;k – आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होगा।
- p;u ifØ;k – नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।
- vkonu Hktu dk irk – शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारुप में दिया जा सकता है।

–––0–––

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

- fØ;kUo;u ,tUlh – शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत
- dk;{k= – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
- ;ktuk dk mnn'; – वृद्ध व्यक्तियों, विधवा/परित्यक्त महिलाओं, निःशक्त

शालेय छात्रों एवं निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग देना।

- *fgrxkfg;k dh ik=rk* – 1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी
  2. 60 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के निराश्रित वृद्व
  3. 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलायें
  4. 6 से 14 वर्ष की आयु के निराश्रित / गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के निःशक्त शालेय छात्र तथा
  5. 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त।
- *feyus okyk ykHk* – 200/– प्रतिमाह
- *vkonu dh ifØ;k* – आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होगा।
- *p;u ifØ;k* – नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी।
  संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।
- *vkonu Hkstus dk irk* – शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारुप में दिया जा सकता है।

–––0–––

सुखद सहारा योजना

- *fØ;kUo;u ,tsUlh* – शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत
- *dk;Z{ks=* – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़

- ;ktuk dk mnn'; – विधवा/परित्यक्त महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।
- fgrxkfg;k dh ik=rk – 18 से 50 वर्ष आयु की निराश्रित विधवा/परित्यक्त महिलायें
- feyu okyk ykHk – 200/– प्रतिमाह
- vkonu dh ifØ;k – आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होगा।
- p;u dh ifd;k – नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।
- vkonu Hktu dk irk – शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन पत्र सादे कागज पर भी निर्धारित प्रारुप में दिया जा सकता है।

–––0–––

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

- fØ;kUo;u ,tUlh – शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ।
- dk;{k= – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
- ;ktuk dk mnn'; – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के नये मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- fgrxkfg;k dh ik=rk – 1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

मृत्यु आवेदक की आयु, मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो।
आवेदक, मृतक के परिवार के नये मुखिया हो।

- *feyu okyy ykHk* – 10,000/– एक मुश्त
- *vkonu dh ifØ;k* – आवेदक को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होगा।
- *p;u dh ifd;k* – नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।
- *vkonu Hktu dk irk* – शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन पत्र साद कागज पर भी निर्धारित प्रारुप में दिया जा सकता है।

–––0–––

निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना

- *fØ;kUo;u ,tUlh* – पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
- *dk;{k=* – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
- *;ktuk dk mnn';* – निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
- *fgrxkfg;k dh ik=rk* –
  1. छत्तीसगढ़ का निवासी हों।
  2. निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
  3. शाला/महाविदयालय/तकनीकी शाला का नियमित छात्र हो।
  4. माता–पिता/अभिभावक की मासिक आय 8,000/– रु. प्रतिमाह से कम हों।

- feyus okys ykHk – 1. कक्षा पहली से कक्षा 5 वीं तक 50 रुपये।
  कक्षा 6 वीं से कक्षा 8 वी. तक 60 रुपये
  कक्षा 9 वी से कक्षा 12 तक 70 रुपये

गत परीक्षा में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :–

d{kk	nSfud Nk= gsrq nj	Nk=kokl h Nk= gsrq nj	nf'V ckf/krk dk okpd HkRrk
कक्षा 9 वी से कक्षा 12 वी एवं आई.टी.आई	85 रुपये	140 रुपये प्रतिमाह	50 रुपये प्रतिमाह
बी..ए., बी.काम.	180 रुपये प्रतिमाह	125 रुपये प्रतिमाह	75 रुपये प्रतिमाह
एवं बी.एस.सी. स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक स्नातक	170 रुपये	240 रुपये प्रतिमाह	100 रुपये प्रतिमाह

- vkosnu dh izfØ;k – निर्धारित प्रारुप में संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- p;u dh izfd;k – जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार
- vkosnu Hkstus dk irk – जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय/ग्राम पंचायत

–––0–––

कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण प्रदाय योजना

- fØ;kUo;u ,tsUlh – पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
- dk;Z{ks= – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
- ;kstuk dk mn~ns'; – निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
- fgrxzkfg;ksa dh ik=rk – 1. छत्तीसगढ़ का निवासी हों।
  2. किसी भी प्रकार की निःशक्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- feyus okys ykHk – माता–पिता/अभिभावक या स्वयं की मासिक आय 5000 रुपये प्रतिमाह होने पर उन्हें निःशुल्क तथा जिनकी आय

5001 रुपये से 8000 रुपये से मध्य है उन्हें संसाधन की 50 प्रतिशत जमा करने पर संसाधन प्रदान किये जाते है। योजनातंर्गत निःशक्त व्यक्तियों को टायसायकिल, बैशाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल, किट व्हील चेयर, टेप रिकार्डर, केपीपर्स श्वेत छड़ी तथा अन्य कृत्रिम अंग प्रदान किये जाते है, इस योजना में अधिकतम 6000 रुपये तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

- vkonu dh ifØ;k – आवेदन निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर संयुक्त संचालक/उप–संचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा।
- p;u dh ifd;k – चिकित्सक/मूल्यांकन दल द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवश्यकता व पात्रतानुसार जिला प्रशासन द्वारा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु चयन किया जाता है।
- vkonu Hktu dk irk – संयुक्त संचालक/उप–संचालक, जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जिला पंचायत तथा जिला निःशक्त पुर्नवास केन्द्र संबंधित जिला

–––0–––

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

- fØ;kUo;u ,tUlh – पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
- dk;{k= – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
- ;ktuk dk mnn'; – गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- fgrxkfg;k dh ik=rk – 1. छत्तीसगढ़ का निवासी हों।

2. निःशक्तः 40 प्रतिशत या उससे अधिक
3. आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम
4. निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

- *feyu okyk ykHk* – रुपये 21,000/– एक मुश्त
- *vkonu dh izfØ;k* – आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा।
- *p;u dh izfd;k* – संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा सहायता /अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।
- *vkonu Hkstus dk irk* – संयुक्त संचालक/उप–संचालक, जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग

———0———

निःशक्तजनों के लिये स्वरोजगार हेतु ऋण योजना (छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम)

- *fØ;kUo;u ,tsUlh* – छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, महानदी खंड, रायपुर
- *dk;Z{ks=* – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
- *;kstuk dk mn~ns';* – निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते हुये रोजगार/स्वरोजगार हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- *fgrxzkfg;ksa dh ik=rk* – 1. 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त आयु 18 से 60 वर्ष वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख 60 हजार रुपये से अधिक
- *feyus okyk ykHk* – निगम द्वारा निम्न ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होगा :–

Ø-	jkf'k	C;kt
1.	50000 रुपये तक	5 प्रतिशत
2.	50000 रुपये से 5 लाख रुपये तक	6 प्रतिशत
3.	5 लाख रुपये से अधिक शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु ऋण	8 प्रतिशत

ukV %&

सभी ऋण 10 वर्ष के भीतर वापस किये जा सकेगें।

विकलांग महिलाओं के लिये ब्याज राशि में 1 प्रतिशत की छुट।

लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिये 1 लाख रुपये तक का ऋण मात्र 6 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध ।

कृषि कार्य हेतु 5 लाख रुपये तक के ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध।

उत्पादक हेतु कारखाने खोलने हेतु 5 लाख रुपये तक के ऋण।

सूक्ष्म वित्तीय योजना अंतर्गत स्वंय सेवी संगठनों को ऋण प्रदान किया जाता है।

- *vkosnu dh izfd;k* – आवेदन जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की अनुशंसा से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को प्रेषित करना होगा।
- *p;u izfØ;k* – निःशक्तजनों की परियोजनाओं का ग्रामीण स्तर पर भौतिक एवं वित्तीय सहायता की जॉच कर जिला अधिकारी, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर निगम का प्रेषित किये जायेगें। निगम द्वारा संचालक मंडल की सहमति पर प्रकरण राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद को प्रेषित किये जायेगें।

  राशि स्वीकृति की कार्यवाही राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा की जायेगी।
- *vkosnu Hkstus dk irk* – 1. संयुक्त संचालक/उप–संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग/जनपद पंचायत

2 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, पंचायत एवं समाज सेवा, संचालनालय, महानदी खंड, रायपुर.

———0———

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (नवीन योजना)

- *mnns';* – गरीबी रेखा के नीचे की विधवा महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयेाग देना।
- *fgrxzkgh dk YkkHk* – 200 रु. प्रतिमाह
- *ik=rk* – 40 से 64 आयु की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिलायें।
- *dgka laidZ djsa* – शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत, स्थानीय निकाय के आदेश के विरुद्व आवेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को।
- *vkosnu gsrq QkeZ* – संपर्क केद्रों में उपलब्ध
- *;kstuk izkjaHk* – फरवरी 2009 से प्रारंभ

————0————

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

(नवीन योजना)

- *mnns';* – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु विकलांग हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।
- *fgrxzkgh dk YkkHk* – 200 रु. प्रतिमाह
- *ik=rk* – 18 से 64 आयु के बहु विकलांग एक से अधिक प्रकार की

			40 प्रतिशत विकलागंता एंव गंभीर रुप से विकलांग 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति।
◆	dgk lid dj	–	शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के आदेश के विरुद्ध आवेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को।
◆	vkonu gr QkeV	–	संपर्क केद्रों में उपलब्ध ।
◆	;kstuk ikjHk	–	फरवरी 2009 से प्रांरभ।

————0————

ukV&राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत न आने पर 10 किलो अन्न प्रतिमाह प्रदाय किया जाएगा ¼vUuiw.kkZ ;kstuk½

———0———

दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम

1.	fØ;kUo;u ,tUlh	–	जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण ।
2.	dk;Z{ks=	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3.	;kstuk dk mnns';	–	निःशक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण कर परिचय पत्र व सेवा संसाधन अभिलेख लेखबद्ध कर पासबुक जारी करना है।
4.	fgrxzkgh dh ik=rk	–	40 प्रतिशत या उससे अधिक, निःशक्त व्यक्ति ।
5.	feyus okyk YkkHk	–	प्रमाण पत्र, परिचय पत्र व पासबुक।
6.	vkosnu dh izfØ;k	–	चिकित्सा मण्डल से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित आवेदन दो छायाचित्रों के साथ जिला पंचायत समाज कल्याण विभाग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन जनपद पंचायत में आवश्यक पूर्ति उपरांत प्रस्तुत करना होगा।

7. p;u ifØ;k – निःशक्तजन व्यक्तियों का प्रमाणीकरण जिला चिकित्सा मण्डल से कराने के पश्चात् 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त व्यक्तियों को परिचय पत्र व पास बुक जारी किये जाते है।

8. vkosnu Hkstus dk irk – संयुक्त संचालक/उपसंचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग।

–––0–––

jkT; iofrr xkeh.k fodkl ;ktuk,

गृह लक्ष्मी योजना

mnn'; &

राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना है, जिसमें एल.पी.जी. गैस कनेक्शन एवं गैस चुल्हा प्रदान किया जाना है। योजनांतर्गत हितग्राही को 5 किलो वाले दो एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर के साथ कनेक्शन एवं दो बर्नर वाला गैस चुल्हा प्रदान किया जावेगा

Ikk=rk &

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार।

lid &

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत।

———0———

निर्मला घाट योजना

mnn'; &

ग्रामीण क्षेत्रो में प्रत्येक ग्राम के निस्तारी तालाबों में महिलाये हेतु निस्तारी तालाब में पर्दा सेवायुक्त/पचरी/घाट निर्माण मूलभूत राशि से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तकनीकी मार्गदशर्न में किया जावेगा।

Ikk=rk &

ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम के निस्तारी तालाब।

lid &

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत।

———0———

मुक्तिधाम योजना

mnn'; &

योजनांतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थित शमशान घाट का उन्नयन किया जाना है। इसमे दो शेड्स एक शव को जलाने के लिये एवं दूसरा शामिल लोगों के प्रतीक्षा के लिये निर्माण किया जाएगा।

Ikk=rk &

ग्राम पंचायत।

l|i dl &

ग्राम / जनपद पंचायत।

–––0–––

आंतरिक मुख्य मार्ग को सीमेंट/क्रांकीट मार्ग में परिवर्तित करने की योजना

mnn'; &

योजनांतर्गत 1000 से अधिक आबादी वाले आंतरिक मुख्य मार्ग को सीमेंट/क्रांकीट मार्ग में परिवर्तित करना है, साथ ही साथ नाली का निर्माण भी किया जाना है।

Ikk=rk &

1000 से अधिक आबादी वाला ग्राम ।

संपर्क –

ग्राम / जनपद पंचायत।

–––0–––

केशवकुंज योजना

mnn'; &

योजना का उद्देश्य स्थल का चयन कर गांव में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया जावेगा। गांवो की 2–5 हेक्टेयर तक की सरकारी जमीनो में वृक्षारोपण करवाया जावेगा। जिसमे नीम तथा ऑवला के पेड लगाये जायेगे।

Ikk=rk &

ग्राम पंचायत।

l|i dl &

ग्राम /जनपद पंचायत।

&&&0&&&

कॉजी हाउस निर्माण

mnn'; &

खुली चराई प्रथा को प्रतिबंधित करना। ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कांजी हाउस के निर्माण की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से प्राप्त करने के उपरांत कांजी हाउस का निर्माण करना। ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति के साथ अनुविभागीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को भेजा जा सकता है।

Ikk=rk &

ग्राम पंचायत ।

l|idl &

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/एस.डी.एम.।

&&&0&&&

वृन्दावन गौठान निर्माण

mnn'; &

इस योजना के अंतर्गत मवेशी हेतु गौठानों को पत्थर एवं मुरम से पक्का कर कीचड़ से रोकने हेतु कार्य योजना तैयार करना है। योजना जिले के समस्त ग्रामों के लिये है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निवासियों में स्वच्छता के लिये उपयोगी होना।

l|idl &

ग्राम/जनपद पंचायत।

&&&0&&&

इन्द्रप्रस्थ योजना

mnn'; &

इस योजना में ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के आसपास कम से कम 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर खेल मैदान के रुप में विकास को इन्द्रप्रस्थ का स्वरुप दिया है। जिसमें मैदान के समतलीकरण के साथ साथ दर्शकों के बैठने के लिये 3 सीढ़ियों का निर्माण कराया जाता है।

l|idl &

जनपद/ग्राम/ जिला पंचायत।

&&&0&&&

प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना

1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के छः प्रमुख भाग है। इनमें ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल तथा ग्रामीण विघुतीकरण सम्मिलित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में वही प्रावधान है, जो इंदिरा आवास योजना में नये मकान तथा कच्चे आवास/अर्द्ध पक्के आवास को पक्के आवास में परिवर्तित करने से संबंधित है। इस केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्यों को 70 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रुप में उपलब्ध करायी जाती है।

mnns'; & इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिये आवास की कमी को कम करना तथा इन क्षेत्रों में स्वस्थ्य पर्यावरण विकसित करने में सहायता देना है।

yf{kr leg & सामान्यतः इंदिरा आवास योजना के सभी प्रावधान इस योजना में भी लागू है। गैर अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिये एक वित्तीय वर्ष में कुल आबंटन का 40 प्रतिशत से अधिक उपयोग नही किया जा सकेगा तथा मुख्य निधियों का 3 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे विकलागों के लिये होगा।

vU; iko/kku & इस येाजना में निर्धन परिवारों के लिये आवासों के निर्माण के साथ–साथ ग्रामीण खरन्जे, आतंरिक सड़के, जल निकासी, पेयजल सुविधा, बस्ती सुधार तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल आबंटित राशि का 10 प्रतिशत तक व्यय किये जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत की मूलभूत योजना

mnns'; &

इस योजना के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत निम्न कार्य की व्यवस्था करना। जैसे –

1. स्वच्छ जल प्रदाय और पेयजल व्यवस्था
2. प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन निर्माण और मरम्मत।
3. पूर्व में स्थापित हैण्ड पंप के निकट नाली/हौदी का निर्माण।
4. निकास नाली/खरंजा निर्माण
5. स्वास्थ्य केन्द्र प्रसूति गृह भवन निर्माण व मरम्मत।
6. स्वामी आत्मानंद वाचनालय का संचालन

7. जरुरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खादयान्न वितरण हेतु
8. पंचमन पत्रिका के क्रय हेतु
9. बी.पी.एल. परिवारों को मच्छरदानी वितरण हेतु
10. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गैर अ.जा./अ.ज.जाति को गृह लक्ष्मी योजनांतर्गत गैस कनेक्शन।

dk;l dk p;u &

ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्राथमिकता एवं कार्य योजना तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाता है। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत कार्य का क्रियान्वयन करती है।

l|i dl &

ग्राम पंचायत।

&&&0&&&

छत्तीसगढ़ ग्राम गौरव योजना

mnn'; & छत्तीसगढ की महान विभूतियों के जन्म स्थान को समग्र विकास के रुप में विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है। जिसमें जिले के एक ग्राम को आदर्श ग्राम के रुप में विकसित किया जावेगा, योजनांतर्गत पहुँच मार्ग, सामुदायिक भवन, शाला भवन, आंगनबाड़ी भवन, मध्यान्ह भोजन हेतु किचन शेड, श्मशान हेंतु निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, अर्थात आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है।

l|i dl & ग्राम/ जनपद/जिला पंचायत।

&&&0&&&

हमारा छत्तीसगढ़ योजना

mnn'; &

राज्य के ऐतिहासिक पर्यटन पुरातत्व महत्व के स्थलों के लिये अधोसंरचना विकास ही हमारा छत्तीसगढ़ योजना का नाम है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 109 ग्राम चयनित किया गया है।

l|i dl &

जनपद/ग्राम/जिला पंचायत।

———0———

f'k{kk

व्यावसायिक शिक्षा

1.	fØ;kUo;u ,tUlh	–	स्कूल शिक्षा विभाग
2.	dk;{ks=	–	सभी जिला मुख्यालय तथा अधिकांश तहसील मुख्यालयों पर स्थित प्रमुख उच्चतर माध्यमिक विदयालयों में व्यावसायिक शिक्षा की योजना संचालित हैं।
3.	;kstuk dk mn~ns';	–	शिक्षा को रोजगारमुखी बनाना और विदयार्थियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4.	fgrxzkgh dh ik=rk	–	दस धन दो स्तर के छात्र–छात्राएँ
5.	feyus okys YkkHk	–	कृषि, वाणिज्य, गृह, उद्यान, पैरामेडिकल, तकनीकी शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश
6.	vkosnu dh izfØ;k	–	इच्छुक विदयार्थी को विदयालय के प्राचार्य को व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश आवेदन करना होगा।
7.	p;u izfØ;k	–	विदयार्थियों को शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में सामान्य चयन प्रक्रिया और रुचि के अनुसार प्रवेश दिया जाता है।
8.	vkosnu Hkstus dk irk	–	संबंधित शाला के प्राचार्य।

–––0–––

समेकित शिक्षा योजना (केन्द्र प्रवर्तित)

1-	fØ;kUo;u ,tUlh	–	राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)
2-	dk;{ks=	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़

–––0–––

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिये निःशुल्क गणवेश

1.	fØ;kUo;u ,tsUlh	–	स्कूल शिक्षा विभाग
2.	dk;Z{ks=	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	;kstuk dk mn~ns';	–	अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहन देना। प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राएँ।
4.	feyus okyh YkkHk	–	निःशुल्क गणवेश
5.	vkosnu dh izfØ;k	–	आवश्यक नही
6.	p;u izfØ;k	–	हितग्राही का चयन प्रधान पाठक द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है।

–––0–––

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय

1.	fØ;kUo;u ,tsUlh	–	राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)
2.	dk;Z{ks=	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	;kstuk dk mn~ns';	–	प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये बालक –बालिकाओं को पाठय पुस्तके उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।
4.	fgrxzkgh dh ik=rk,sa	–	कक्षा एक से आठ के सभी छात्र कक्षा एक से बारहवी तक की सभी छात्राएँ
5.	feyus okyh YkkHk	–	निःशुल्क पाठय पुस्तकें
6.	vkosnu dh izfØ;k	–	आवश्यक नही
7.	p;u izfØ;k	–	निर्धारित मापदण्डों के अनुसार

–––0–––

बुक बैक योजना

1. fØ;kUo;u ,tUlh – स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. dk;{k= – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3. ;ktuk dk mnn'; – कक्षा 9 वी से 12 वी तक के शासकीय विद्यालयों में अध्ययरत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र तथा छात्राओं को अध्ययरत के लिये पाठय पुस्तके शिक्षा सत्र के लिये उपलब्ध कराना।
4. fgrxkgh dh ik=rk, – शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों में कक्षा नवमी से बारहवी तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र तथा छात्राएँ ।
5. feyu oky YkkHk – निःशुल्क पाठय पुस्तके ।
6. vkonu dh ifØ;k – आवश्यक नही
7. p;u ifØ;k – हितग्राही का चयन प्राचार्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। हितग्राहियों को शिक्षा सत्र के लिये पाठय पुस्तकें आबंटित राशि से क्रय कर उपलब्ध करायी जाती है। सत्रांत के पश्चात् इन पुस्तकों को वापस ले लिया जाता है।

———0———

वैकल्पिक शिक्षा

1. fØ;kUo;u ,tUlh – राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)।
2. dk;{k= – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3. ;ktuk dk mnn'; – कम आबादी वाली बसाइटों के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षा सुविधा से ंवचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। कामकाजी, शाला त्यागी धूमंतू परिवारों तथा विशिष्ट परिस्थितियों की बालिकाओं के लिये शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।

4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	कामकाजी (घरेलू एवं श्रमिक) बच्चें, शाला त्यागी बच्चे, घूमंतू परिवारों के बच्चे तथा विशिष्ट परिस्थितियों की बालिकायें।
5.	मिलने वाले लाभ	–	15 बच्चों की दर्ज संख्या पर एक शिक्षक युक्त वैकल्पिक विदयालय। प्राथमिक शालाओं में प्रत्येक बच्चे पर 845 रुपये तथा पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1200 रुपये व्यय का प्रावधान। आवासीय विदयालय में 3600 रुपये प्रति छात्र व्यय का प्रावधान।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	आवश्यक नही
7.	चयन प्रक्रिया	–	ग्राम पंचायतें/स्वयं सेवी संगठन सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे स्थानों को चिन्हित करते है जहॉ शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नही है। ऐसे स्थानों की सूची विकासखंडवार एकत्रित कर राजीव गांधी शिक्षा मिशन को भेजी जाती है।

&&&0&&&

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय चयन परीक्षा

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	प्रतिभाशाली विदयार्थियों की खोज करना, उचित शैक्षिक मार्गदर्शन देना, उत्तम शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ
5.	मिलने वाले लाभ	–	छात्रवृत्ति जो 250 रुपये प्रतिमाह की दर से देय है तथा कक्षाओं में प्रगति के अनुसार इसमें वृद्वि का प्रावधान है।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	संबंधित शाला के प्राचार्य के माध्यम से
7.	चयन प्रक्रिया	–	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा लिखित

			परीक्षा का आयोजन किया जाता है। चयनित विदयार्थी एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वितीय स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होते है। अंतिम रुप से चुने गये छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
8.	आवेदन भेजने का पता	–	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर, रायपुर

———0———

भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून प्रवेश परीक्षा

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	सैन्य महाविदयालय में प्रवेश की तैयारी, रक्षा सेवाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास।
4.	हितग्राही की पात्रताऍ	–	7 वीं परीक्षा उत्तीर्ण बालक जिनकी आयु साढ़े ग्यारह से तेरह वर्ष के बीच हो।
5.	मिलने वाले लाभ	–	भारतीय सैन्य महाविदयालय देहरादून में प्रवेश
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	इच्छुक छात्र कमांडेट भारतीय सैन्य महाविदयालय देहरादून के पक्ष में 190 रुपये का बैक ड्राप्ट भेजकर परीक्षा का आवेदन पत्र मंगा सकते है। भरे हुये आवेदन पत्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर में निर्धारित तिथि तक जमा किये जा सकते है। आवेदन के साथ सामान्य वर्ग के छात्रों को 25 रुपये तथा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्रों को 2.50 रुपये शुल्क देय है।
7.	चयन प्रक्रिया	–	लिखित परीक्षा (अंग्रेजी, गणित तथा सामान्य ज्ञान) एवं साक्षात्कार
8.	आवेदन भेजने का पता	–	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर, रायपुर

———0———

छात्र दुर्धटना बीमा योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	स्कूल शिक्षा विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्राओं को दुर्धटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्राएँ
5.	मिलने वाले लाभ	–	मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10,000/–की क्षतिपूर्ति
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	आवश्यक नही
7.	चयन प्रक्रिया	–	शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सभी विदयार्थियों को लाभ की पात्रता है।

&&&0&&&

छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	स्कूल शिक्षा विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	कक्षा 9 वी से 12 वी तक के शासकीय विदयालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना।
4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों में कक्षा नवमी से बारहवी तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राएँ ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	निःशुल्क सायकल
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	आवश्यक नही
7.	चयन प्रक्रिया	–	हितग्राही का चयन प्राचार्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है।

&&&0&&&

मध्यान्ह भोजन योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	—	स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	—	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	—	शासकीय विदयालयों में कक्षा पहली से पॉचवी तक अध्ययनरत छात्र, छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन देना।
4.	हितग्राही की पात्रताएॅ	—	शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी पत्र–छात्राएॅ
5.	मिलने वाले लाभ	—	पका हुआ भोजन
6.	आवेदन की प्रक्रिया	—	आवश्यक नही
7.	चयन प्रक्रिया	—	शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सभी विदयार्थियों को लाभ की पात्रता है।

छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	—	निजी निवेशक
2.	कार्यक्षेत्र	—	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	—	बालिकाओं में कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना। सूचना तकनीकी का ज्ञान प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
4.	हितग्राही की पात्रताएॅ	—	ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्कूलों में कक्षा नवमी से बारहवी तक अध्ययनरत समस्त छात्राएॅ। नगरीय क्षेत्रों में कक्षा नवमी सेबारहवी तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अन्य वर्गो की छात्राएॅ।
5.	मिलने वाले लाभ	—	कम्प्यूटर शिक्षण
6.	आवेदन की प्रक्रिया	—	आवश्यक नही

7.	चयन प्रक्रिया	–	निर्धारित मापदण्ड पूरे करने वाली भी छात्राएँ लाभ की पात्र है।

कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विदयालय

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में 51 विकासखंड़
3.	योजना का उद्देश्य	–	दूरस्थ अंचलों में सर्व–सुविधायुक्त आवासीय शाला के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा से वंचित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। प्रांरभिक शिक्षा पूर्ण नही कर पाने वाली बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना तथा बालिकाओं के अनुरुप शालेय वातावरण का निर्माण।
4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	6 से 14 आयु वर्ग की अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बालिकायें। पलायन करने वाले परिवारों की बालिकाएँ। कामकाजी बालिकाएँ। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की बालिकाएँ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	आवासीय विदयालयों में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सा की सुविधा। छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठय पुस्तक, स्टेशनरी तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री। व्यावसायिक पाठयक्रम तथा सीखने के कौशलों का प्रशिक्षण।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	आवश्यक नही
7.	चयन प्रक्रिया	–	आवासीय विदयालयों में 75 प्रतिशत स्थान पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे स्तर के समुदाय की बालिकाओं के लिये आरक्षित होगें।

———0———

बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)
2.	कार्यक्षेत्र	–	ग्रामीण क्षेत्र जहाॅ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.13 से कम है तथा महिला–पुरुष साक्षरता दर में अंतर राष्ट्रीय औसत 21.7 प्रतिशत से अधिक है। जहाॅ अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत या उससे अधिक है, तथा महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है। शहरी गंदी बस्ती क्षेत्र।
3.	योजना का उद्देश्य	–	शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की सहभागिता बनाना, बालिकाओं तक शिक्षा सुविधा पहुॅच का विकास, बालिकाओं के शाला त्याग दर को कम कर शत–प्रतिशत नामांकन, बालिकाओं के व्यक्तित्व का विकास, बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देना।
4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	शाला अप्रवेशी, शाला त्यागी बालिकाये। प्रारंभिंक शिक्षा पूर्ण न करने वाली अधिक उम्र की बालिकाएँ। कामकाजी बालिकाएँ शाला में अनियमित रहने वाली बालिकाएँ, कम उपलब्धि स्तर की बालिकाएँ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	निःशुल्क पाटय पुस्तक, स्टेशनरी तथा गणवेश। व्यावसायिक प्रशिक्षण।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	आवश्यक नही
7.	चयन प्रक्रिया	–	निर्धारित मापदण्ड पूरे करने वाली भी छात्राओ का चयन किया जाता है।

–––0–––

साक्षरता के तीन चरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य सम्पूर्ण साक्षरता अर्थात 2012 तक शत प्रतिशत निरक्षरों को साक्षर बनाना एवं उस लक्ष्य को बनाये रखना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिशन 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है। इस आयु वर्ग को चुनने का कारण यह है कि जीवन की यह अवधि उत्पादकता और प्रजनन की अवधि होती है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान ऐसे व्यक्ति को दूसरा अवसर प्रदान करता है, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने सें वंचित रह गये हो। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य यह

सुनिश्चित करता है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान व उसका साक्षरता कार्यक्रम सतत शिक्षा कार्यक्रम की ओर बढे। किसी भी निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिये निम्नलिखित 3 चरण पूर्ण करने होते है :–

1- lEi.k lk{kjrk vfHk;ku
2- mRrj lk{kjrk dk;Øe
3- lrr f'k{kk dk;Øe

lEi.k lk{kjrk vfHk;ku %& निरक्षरता उन्मूलन के लिये सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को अब भारत में सर्वोपरि प्राथमिकता के रुप में स्वीकार कर लिया गया है। ये अभियान समयब़द्ध होते है और निर्धारित क्षेत्र में स्वैच्छिक सहयेाग के आधार पर चलाये जाते है। इसमें साक्षरता व अंक ज्ञान के आधार पर निर्धारित पाठयक्रम में कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। किसी भी निरक्षर को 3 प्रवेशिकाओं को अध्यापन कराना जाता है –

1- lEi.k lk{kjrk vfHk;ku iof'kdk Hkkx & 1 ¼60 ?kV½
2- lEi.k lk{kjrk vfHk;ku iof'kdk Hkkx & 2 ¼60 ?kV½
3- lEi.k lk{kjrk vfHk;ku iof'kdk Hkkx & 3 ¼60 ?kV½

कुल 180 घंटे की पढ़ाई के पश्चात् निरक्षरों का आतंरिक व बाहय मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में पास होने के पश्चात् वे नवसाक्षर कहलाते है।

mRrj lk{kjrk dk;Øe %&नव साक्षर द्वारा प्राप्त अंक ज्ञान व अक्षर ज्ञान को स्थायी बनाये रखने के लिये उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक है। उत्तर साक्षरता का लक्ष्य बोलने, पढ़ने, लिखने गणित तथा समस्या समाधान को पुष्ट करना और साथ ही एक ऐसा पूर्ण व्यक्ति बनाना जो समाज के लिये सामाजिक, आर्थिक योगदान करता रहे। इस चरण में नवसाक्षर को उत्तर साक्षरता प्रवेशिका भाग–1 का 60 घंटे अध्ययन कराया जाता है। इस अभियान में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत् छूटे निरक्षरों व अर्ध साक्षरों को भी अध्यापन कराया जाता है। इस अभियान में नवसाक्षरों को आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक उर्पाजन करने की दिशा में कार्य आरंभ किये जाते है। शिक्षण वातावरण को बनाये रखने के लिये सामाजिक, आर्थिक, राजनतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया जाता है।

lrr f'k{kk dk;Øe %& सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर चुके व्यक्तियों के लिये ऐसे कार्यक्रम बनाये जाते है, जिससे अर्जित ज्ञान और कुशलताओं में वृद्वि हो सके। सतत शिक्षा कार्यक्रम में निम्नलिखित गतिविधियॉ चलाई जाती है :–

1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान व उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिये प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय/वाचनालय आंरभ कर उनमें नवसाक्षर साहित्य व पत्र पत्रिकायें रखी जाती है।

2- lrr f'k{kk dk;Øe dk fy; v/;;u&v/;kiu dUnz dh LFkkiuk %& व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र व विभागीय विकास योजनाओं की सुविधाओं के लिये विस्तार केन्द्र की स्थापना खेलकूद, मनोरंजन सास्कृतिक कार्यक्रम तथा समस्याओं के समाधान के लिये विचार विमर्श व गोष्ठियों का आयेाजन किया जाता है। नवसाक्षर महिलाओं व पुरुषों के स्वसहायता व बचत समूहों को निर्माण कर उनमें आर्थिक उपार्जन व कौशल विकास की गतिविधियॉ की जाती है। इस चरण में समतुल्यता कार्यक्रम, आय उत्पादन कार्यक्रम जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य जागरुकता संबंधित कार्य आयोजित किये जाते है।

icU/kdh; <kapk %&सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम व सतत शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित प्रबंधकीय ढॉचा निर्मित किया गया है –

jk"Vªh; Lrj & राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की सामान्य परिषद के प्रमुख मानव संसाधन विकास मंत्री होते है। कार्यकारिणी समिति में भारत सरकार के प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक तथा वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी होते है, जिनके निर्देशन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आरंभिक शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा विभिन्न जिलों की परियोजना अनुमोदित की जाती है।

jkT; Lrj & राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की सामान्य परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री व उपाध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री है। कार्यकारणी समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (शिक्षा) है।

ftyk Lrj & जिला साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होते है। उपाध्यक्ष अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होते है। सचिव के पद पर साक्षरता की समझ रखने वाले एवं अभियान को जिले में संचालित कर सकने वाले क्षमतावान अधिकारी को पदस्थ किया जाता है। इसमें कालेज/स्कूल के वरिष्ठ व्याख्याता या प्राचार्य को नामांकित किया जाता है। जिले के माननीय सासंद/विधायकगण, समस्त विभाग के जिला अधिकारी, सहकारी व गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायती राज के प्रतिनिधि व अध्यापकगण इसके सदस्य बनाये जाते है। इस समिति का एक पृथक कार्यालय स्थापित किया जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार कर्मचारी नियुक्त किये जाते है। यह कर्मचारी किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अथवा निश्चित मानदेय पर रखा जाता है। जिला साक्षरता समिति पंजीयक, फर्मस एवं सोसायटी द्वारा पंजीकृत होती है।

Cykd Lrj & लाक स्तर पर अभियान का क्रियान्वयन करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में एक समिति होती है। उपाध्यक्ष जनपद अध्यक्ष एवं तहसीलदार को बनाया जाता है। ब्लॉक के साक्षरता प्रभारी अधिकारी व सहसचिव ब्लाक स्तर के अशासकीय ब्लाक समन्वयक होते है, जिन्हें जिला

साक्षरता समिति द्वारा निश्चित मानदेय पर रखा जाता है। ब्लाक स्तर पर समस्त निर्वाचित जन प्रतिनिधि सदस्य विभिन्न विभागों के अधिकारी पदेन सदस्य होते है।

lDVj Lrj %& सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गठित संकूल क्षेत्र पर साक्षरता का भी एक सेक्टर स्थापित है, जिसमें सी.ए.सी. प्रभारी होता है। एस.डी.एम. द्वारा नामांकित एक अधिकारी को सेक्टर प्रभारी बनाया

साक्षर भारत अभियान – 2010

भारत सरकार का ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम 8 सितम्बर 2009 को लागू किया गया एवं 01.01.2009 से क्रियान्वित किया जा रहा है, यह कार्यक्रम भारत के उन 365 कम साक्षर जिलों में लागू किया जाएगा जिन में प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 2001 की गणना के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे कम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना, लिंग भेद कम करना एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना है।

इसके अंतगर्त छत्तीसगढ़ के 8 जिले जशपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायपुर, कवध ाा, महासमुंद शामिल किये गये है।

कार्यक्रम की संरचना आधार–भूत साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, क्षमता विकास पाठयक्रम एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के लिये की गई है। ¼1-½ प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जाएगी। ¼2-½ यह कार्यक्रम का प्रमुख केन्द्र होगा। ¼3-½ यह विभिन्न प्रकार के शिक्षा संबंधी गतिविधियों जैसे आधारित साक्षरता, आधार–भूत शिक्षा, क्षमता विकास एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों हेतु पंजीकरण का स्थान होगा तथा साक्षरता अभियान की संस्थागत प्रबंधकीय एवं संसाधनी सहयोग प्रदान करेगा। पंचायती राज संस्थान इस कार्यक्रम की घुरी होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत लोक शिक्षा समिति गठित करेगी, जो कार्यक्रम को लागू करने में उत्तरदायी होगी। ग्राम पंचायत आवश्यक संसाधन सहायता जनपद लोक शिक्षा समिति/जिला लोक शिक्षा समिति से प्राप्त करेगें तथा राज्य संसाधन केन्द्र से भी प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा हेतु संसाधन प्राप्त करेगें।

यह कार्यक्रम अभियान की तरह लागू किया गया है। राष्ट्रीय स्तर से ग्राम स्तर तक संसागत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस व्यवस्था में पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व की भूमिका विशेषकर निर्णय करने के सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायत की भूमिका, कार्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेन्सी के रुप में होगी।

¼v½ xke ipk;r Lrj &

इस की प्रमुख रणनीति है कि इस अभियान को पंचायत के द्वारा चलाया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत के निरक्षर महिलाओं की पहचान करनें एवं उन्हें संभावित सीखने वालों के रुप में पंजीकृत करने का कार्य प्रत्येक पंचायत को दिया गया है। स्थानीय समाज में से साक्षरता शिक्षक की पहचान करने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों को दी गयी है। (इस कार्य में शिक्षक के लिये 10 वी उत्तीर्ण शिक्षा की अर्हता हो सकती है और

यदि आदिवासी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति उपलब्ध न हो तो आवासीय शिक्षक लिया जा सकता है)। कोई भी व्यक्ति, जो न्यूनतम शिक्षा की अर्हता पूर्ण करता है, विशेषकर बेरोजगार नौजवान जो समय दे सकता हैं। वह कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक हो सकता है। समन्वयता को प्राप्त करने के लिये महिला मण्डल के फेसिलिटेटर्स, स्वसहायता समूह के सदस्य, जल उपयोगकर्ता निकाय, वन प्रबंधन समूह आदि को उनके संबंधित समूह के लिये साक्षरता शिक्षक की भूमिका अदा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

एक समिति जिसमें पंचायत अध्यक्ष, पंचायत की महिला जन प्रतिनिधि, स्थानीय शाला प्रधान/शिक्षक (पंचायत द्वारा चयनित) स्थानीय व्यक्तियों का प्रतिनिधि (अनु.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक से अनुपातिक के साथ), शिक्षा समिति का सदस्य सचिव, महिला मण्डल/स्व–सहायता समूह के सदस्य, उपयोगकर्ता समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, साक्षर/सलाहकार (वरिष्ठ शासकीय कर्मचारी/चिकित्सक) एवं प्रेरक हो, गठित किया जाएगा। यह समिति अलग–अलग उपसमितियों की सहायता से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को कार्यो का प्रबंधन करेगी।

¼c½ ftyk ,o tuin Lrj &

जिला स्तर पर कार्यक्रम के लागू करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायतों या जिला प्रशासन को दिया जाएगा। जिला पंचायत के अंतर्गत कार्य करने हेतु एक विशेष समिति और जिला संसाधन समूह का गठन किया जाएगा।

¼l½ jkT; Lrj

राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण, का गठन किया जाएगा। जो इस कार्यक्रम हेतु, राज्य स्तर पर लागू करेगा तथा राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण के मध्य समन्वय भी स्थापित करेगा।

———0———

शिक्षा का अधिकार कानून 2009
¼Right To Education Act 2009½

mnn'; & *Ng l pkng o"k* के आयु सभी बच्चों को आठवीं तक *vfuok;l ,o eDr f'k{kk* देने के लिए केन्द्र शासन द्वारा बनाई गई शिक्षा का अधिकार कानून *1 viy 2010* से सभी राज्यों में प्रभावशील होगा।

- शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष उम्र के शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जाना है।
- इस कानून में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा एक किलोमीटर के अंदर तथा पूर्व माध्यमिक शिक्षा की सुविधा 3 किलोमीटर पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
- कानून के तहत प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश देने की व्यवस्था की जाएगी।
- निःशक्त बच्चों को विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा के लिए जरूरी सामग्री भी दी जाएगी।
- प्राथामिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में पूर्व में गठित तीन प्रकार की समितियों को सशक्त किया जाएगा इन समीतियों में 75 प्रतिशत में स्कूली बच्चों के अभिभावक गण रहेगें 25 प्रतिशत सदस्य स्थानीय जन प्रतिनिधी शिक्षक, शिक्षाविद् और स्कूली बच्चे शामिल होंगे।
- सभी वर्गों की 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की होगी।
- शिक्षा का अधिकार कानून के आदर्श नियमों की समस्त प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए तीन साल का समय दिया गया है।
- 6 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों का बायोडाटा तैयार करने के लिए माइक्रोप्लानिंग सभी गांवों में होगी।
- इस कानून में नियम 60 के तहत निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों के नियम बनाये जाएगें। छत्तीसगढ़ में एक बच्चे के लिए एक साल में 5 हजार रूपये खर्च करने की योजना है।
- शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के नियम *16* के तहत 31 अक्टूबर 2010 के बाद केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियम *17* के तहत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को 5 वर्ष के भीतर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कानून में प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए जोर दिया गया।

fØ;kUo;u , tlh& प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला।

lid & विकास खंड शिक्षा अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा सरपंच ग्राम पंचायत।

–––0–––

vkthfodk fodkl

- कृषि
- उद्यानिकी
- मत्स्य पालन
- पशुपालन
- वन

कृषि

सूरजधारा योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	*1- cht vnyk&cnyh &* बीज वितरण संस्था द्वारा अदला–बदली में प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम रुपये 1500/– की सीमा में लघु एवं सीमान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को रहेगी। *2- cht mRiknu ;kstuk &* योजनान्तर्गत प्रमाणित बीज लघु एवं सीमान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर एक हेक्टेयर तक के लिये उपलब्ध कराया जा सकेगा।
6.	आवेदन प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
8.	चयन प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
9.	आवेदन भेजने का पता	–	उप संचालक द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड़।

———0———

लघु सिंचाई योजना

¼uyd i ;k t uk½

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	—	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	—	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	—	सिंचाई क्षेत्र में वृद्वि करना
4.	हितग्राही की पात्रता	—	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	—	v- सामान्य वर्ग – योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान 20.12.2006 से लागू है। खनन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 जो भी कम हो। किसान समृद्वि योजना के अंतर्गत सम्मिलित विकास खण्डों को छोड़कर। c- अ.ज.जा./अ.जा (आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर के हितग्राही) खनन लागत या अधिकतम 18000 जो भी कम हो। l- योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान 18.08.2008 से लागू है(अ.ज.जा./अ.जा.आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के हितग्राही)
6.	चयन प्रक्रिया	—	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
7.	आवेदन की प्रक्रिया	—	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

———0———

लघु सिंचाई योजना

(पम्प प्रतिष्ठान)

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देदश्य	–	सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	v- lkekU; oxl & योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान 20.12.2006 से लागू है। पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत या रुपये 15000/– जो भी कम हो। c- अ.ज.जा./अ.जा.आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर के हितग्राही पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत या रुपये 15000/– जो भी कम हो। l- योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान 18.08.2008 से लागू है। अ.ज.जा./अ.जा. आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के हितग्राही पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत या रुपये 25000/– जो भी कम हो।
6.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
7.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

———0———

लघु सिंचाई योजना

(तालाब)

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देदश्य	–	सिंचाई क्षेत्र में वृद्वि करना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान 19.08.1981 से लागू है। 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शतप्रतिशत शासकीय व्यय पर तालाब निर्मित किये जाते है।
6.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
7.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

———0———

लघु सिंचाई योजना

(शाकम्भरी योजना)

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देदश्य	–	सिंचाई क्षेत्र में वृद्वि करना

4.	हितग्राही की पात्रता	–	*d-* योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान वर्ष 2005 से लागू है। योजनांतर्गत राशि 17100, 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त वर्ग के सभी कृषकों को 5 एच.पी.तक के डीजल/विधुत पम्प/केरोसीन पम्प तथा कूप निर्माण कार्य पर क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा देय है। *[k- Mh t y@djklhu@fo/kr iEi&* योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान वर्ष 2006 से लागू है। योजनांतर्गत राशि 11625/– 75 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त वर्ग के सभी कृषकों को 5 एच.पी.तक के डीजल/विघुत पम्प/केरोसीन पम्प तथा कूप निर्माण कार्य पर क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा देय है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शतप्रतिशत शासकीय व्यय पर तालाब निर्मित किये जाते है।
6.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
8.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

–––0–––

लघु सिंचाई योजना

(लघु/सीमान्त कृषकों हेतु लो–लिफ्ट पम्प योजना)

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना

4.	हितग्राही की पात्रता	–	योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान वर्ष 2005–06 से लागू है। योजनांतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित मैक्रोमैनेजमेन्ट योजना में लो लिप्ट पम्प पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य के लघु/सीमान्त वर्ग के सभी कृषकों को इस पम्प पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रकार कुल 75 प्रतिशत अनुदान लघु/सीमान्त कृषकों को देय है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शतप्रतिशत शासकीय व्यय पर तालाब निर्मित किये जाते है।
6.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
7.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

———0———

लघु सिंचाई योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

5.	मिलने वाला लाभ	–	नाबार्ड द्वारा अनुमोदित या जिले में प्रचलित दर पर खनन की लागत दरों में से जो भी कम हो उसका 50 प्रतिशत या 8000 रुपया जो भी कम हो अनुदान देय हैं।
6.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
7.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

–––0–––

खलिहान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	छत्तीसगढ़ राज्य के तहसीलों के समस्त कृषक
3.	योजना का उद्देश्य	–	खलिहानों में सिचाई हेतु रखी गयी फसलों/उपज के अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति की पूर्ति करना।
4.	मिलने वाला लाभ	–	1. सीमान्त कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक)अधिकतम 2500/–रु.या वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो। 2. लघु कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक) अधिकतम 5000/–रु. या वास्तविक आंकलित क्षति, जो भी कम हो। 3. दीर्घ कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक) अधिकतम 10000/–रु. या वास्तविक आंकलित क्षति, जो भी कम हो।
5.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का

चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

---0---

अन्नपूर्णा योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	धान फसल के प्रमाणित बीज के लिये कृषकों को आत्मनिर्भर करना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	1. बीज अदला–बदली – बीज वितरण संस्था द्वारा अदला–बदली में प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम रुपये 1500/– की सीमा में लघु एवं सीमान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को रहेगी।
6.	आवेदन प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
7.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
8.	आवेदन भेजने का पता	–	उप संचालक, (कृषि) संबंधित जिला केद्र द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड़।

---0---

कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	1. हस्तचलित कृषि यंत्र–कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 2000/– 2. बैल चलित कृषि यंत्र–कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 3000/– 3. सभी प्रकार के शक्तिचलित थ्रेसर–कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 1500/– 4. शक्ति चलित यंत्र–कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 10000/– 5. विशेष शक्ति चलित यंत्र–कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु.30000/– 6. 35 हार्सपावर तक के टेक्टर–कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 30000/–
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
7.	आवेदन भेजने का पता	–	उप संचालक, (कृषि) संबंधित जिला केन्द्र द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड़।

––––0––––

मक्का उत्पादन विशेष कार्यक्रम

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	मक्का के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	● आई.पी.एम.प्रदर्शन हेतु 22680/– रु. प्रति प्रदर्शन 40 हेक्टेयर हेतु या संपूर्ण ग्राम के लिये। ● प्रमाणित बीज वितरण 800 रु. प्रति क्विंटल या 30 प्रतिशत जो भी कम हो। ● जैविक नियंत्रण विधियॉ 1480/–रु. प्रति हेक्टेयर अधिकतम अनुदान। ● नींदा नाशक/कीटनाशक 500/– रु. या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। ● पी.एस.बी. 50 रु. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। ● जिप्सम पायराइट 500 रु. या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। ● सिंचाई पाईप वितरण 35 पाईप हेतु अनु.जा. /अ.ज.जा.कृषकों हेतु (50 प्रतिशत) एवं सामान्य के लिये 10000/– (33 प्रतिशत) ● अंतवर्ती फसल–500 रु. अधिकतम प्रति हेक्टेयर अनुदाय देय है।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
7.	आवेदन भेजने का पता	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता हैं।

———0———

नाडेप विधि से गोबर कम्पोस्ट खाद बनाना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	जैविक उर्वरक उपयोग द्वारा भूमि के सूक्ष्म तत्व का संरक्षण
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	लघु सीमांत (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा.) कृषकों को 1200/– रुपये की दर से या 75 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु 800/– रुपये की दर से या 50 प्रतिशत जो भी कम हो, अनुदान देय है।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
7.	आवेदन भेजने का पता	–	पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता हैं।

———0———

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम(चॉवल)

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	फसल धान के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करना

4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	● प्रमाणित बीज उत्पादन–आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर रुपये 200/– प्रति क्विटंल(संस्था हेतु रु. 50/– एवं कृषकों हेतु रुपये 150/–) ● प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान–10 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों के धान बीज रुपये 200/– प्रति क्विंटल ● एकीकृत तत्व प्रबंधन रु. 1480/– प्रति हेक्टयर अधिकतम अनुदान ● बीजोपचार दवा रु. 10/– प्रति हेक्टेयर बीजोपचार डम कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 500/– प्रति श्डम ● तकनीकी प्रदर्शन–अधिकतम रु. 1000/– प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ हेतु देय है। ● जैव उर्वरकों का उपयोग रुपये 25/– प्रति हेक्टेयर या 25 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है। ● सिंचाई पाईप–सभी श्रेणी के कृषकों को कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रु. 8000/– जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
7.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
8.	आवेदन भेजने का पता	–	उप संचालक, (कृषि)संबंधित जिला केंद्र द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड़।

–––0–––

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	फसल मोटा अनाज के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	● प्रमाणित बीज उत्पादन–आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर रुपये 200/– प्रति क्विटंल ● प्रमाणित बीज वितरण 10 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों पर रुपये 200/– अनुदान सहायता प्रति क्विंटल ● बीजोपचार दवा रु. 10/– प्रति हेक्टेयर ● प्रौधौगिकी प्रदर्शन – अधिकतम रु. 1000/– प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ ● जैव उर्वरकों का उपयोग रुपये 25/– प्रति हेक्टेयर
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
7.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।

–––0–––

fdlku lef) ;ktuk

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	रायपुर जिले के विकासखंड़–बलौदाबाजार, सिमगा,

			भाटापारा, तिल्दा, कसडोल एवं बिलाईगढ़। बिलासपुर जिला के मुंगेली, पथरिया, बिल्हा एवं तखतपुर। जिला–दुर्ग के बेरला, धमधा, दुर्ग, बेमेतरा, साजा एवं नवागढ़। जिला राजनांदगांव के राजनांदगांव, डोगरगढ़, खैरागढ़, छुईखदान एवं डोगरगांव। कवर्धा जिले के पंडरिया, कवर्धा, बोडला, सहसपुर लोहारा।
3.	योजना का उद्देश्य	–	सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	अनुदान की पात्रता सामान्य कृषक अधिकतम 25000/– अनुजाति/जनजाति को 43000 हजार रुपये।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
7.	चयन प्रक्रिया	–	जिला पंचायत के कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
8.	आवेदन भेजने की प्रक्रिया	–	उप संचालक, (कृषि) संबंधित जिला केद्र द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड़।

–––0–––

कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं प्रचार कार्यक्रम

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	कृषि के विस्तार के लिये प्रशिक्षण भ्रमण सम्मेलन
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते है, परन्तु लघु सीमान्त, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

5.	मिलने वाला लाभ	–	1. राज्य के अंदर और बाहर कृषक भ्रमण 2. इस योजना में कृषक सम्मेलन का प्रावधान है।
6.	आवेदन भेजने की प्रक्रिया	–	क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।

———0———

लाख पालन

1.	योजना का नाम	–	लाख पालन (उत्पादन)
2.	हितग्राही की पात्रता	–	1. ऐसे समस्त ग्रामीण जिनके पास कुसुम, बेर एवं पलाश के वृक्ष हैं। 2. ऐसे ग्रामीण जो जन सहभागिता से शासकीय भूमि के कुसुम, बेर, पलाश वृक्षों का संरक्षण करने वाले स्व–सहायता समूह के सदस्य हों।
3.	योजना के उद्देश्य	–	लाख उत्पादन में वृद्धि करना एवं कृषकों को उसका उचित मूल्य दिलाना। लाख के पालक वृक्षों का संरक्षण करना एवं उनकी संख्या में वृद्धि करना। ग्रामीणों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत का विकास करना। ब्रूड लाख फार्म की स्थापना कर बीनह लाख की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4.	योजना के लाभ	–	परंपरागत पद्धति से की जा रही लाख की खेती को वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करना जिससे लाख के उत्पादन में वृद्धि होगी एवं ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा वृक्षों का संरक्षण होगा। ग्राम स्तर, हॉट बाजार एवं प्रसंस्करण स्तर पर स्व–सहायता समूह का गठन किया जाएगा एवं उन्हें चक्रीय राशि एवं ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
5.	लाभ प्राप्त करने के चरण	–	प्रथम चरण में हितग्राहियों को लाख पालन के वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है पालक वृक्षों की कटाई –छटाई करते हैं। बीनह लाख प्रदाय किया जाता है

			जिसे पालक वृक्षों पर बांधते हैं तथा उनकी लाख उतार लेते हैं तथा विक्रय कर लाभ प्राप्त करते हैं। 6 से 8 माह तक देखभाल के पश्चात परिपक्व लाख की कटाई कर बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं।
6.	लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना होगा ?	–	लाख पालन संबंधित प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति परिक्षेत्र अधिकारी उप–वनमण्डलाधिकारी / उप –प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं वनमण्डलाधिकारी
7.	क्या लाभ प्राप्त होंगे ?	–	निःशुल्क प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता निःशुल्क बीनह लाख / कीटनाशक एवं आवश्यक उपकरण लाख का अधिक उत्पादन अंतिम रूप से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। ग्राम स्तर एवं हॉट बाजार स्तर के स्व–सहायता समूह को क्रमशः 15000 / – एवं 50000 / – की चक्रीय राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
8.	संभावित लिंकेजेस	–	1. कृषि 2. उद्यानिकी विभाग 3. जिला पंचायत

वन विभाग (लघु वनोपज संघ) के संयुक्त प्रयास से लाख खेती के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

–––0–––

वन

vkoyk ilLdj.k

1- ;ktuk dk uke %& vkoyk ilLdj.k

2- fgrxkgh dku gk ldr g \

- समस्त ग्रामीण जो आंवला प्रसंस्करण कार्य में कार्य करने के इच्छुक हैं।

3- ;ktuk d mís'; %&

- आंवला संग्रहण की परंपरागत संग्रहण पद्धति में सुधार का विनाश विहीन पद्धति से संग्रहण को प्रोत्साहन देकर आंवला उत्पादन में वृद्धि करना। वैज्ञानिक प्रशिक्षण से सूखे आंवले के उत्पादन को प्रोत्साहित करना जिससे औषधिय गुण कायम रखते हुए उचित मूल्य दिलाया जा सके।

4- ;kstuk ds ykHk %&

- आंवला उत्पादन में वृद्धि होगी संग्राहक को उचित एवं अधिक मूल्य प्राप्त होगा। आय के अतिरिक्त स्त्रोत विकसित होंगे। प्रसंस्करण में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

5- ykHk ikIr djus dk pj.k %&

- ग्राम स्तर, हॉट बाजार एवं प्रसंस्करण स्तर पर स्व–सहायता समूह को गठन करेंगे। चक्रीय राशि/ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्व–सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6- ykHk ikIr djus ds fy, fdlls lEidZ djuk gksxk \

- संबंधित प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी
- उप–वनमण्डलाधिकारी
- उप–प्रबंध संचालक
- वनमण्डलाधिकारी

7- D;k ykHk ikIr gksxs \ ykHk %&

- स्व–सहायता समूह को ग्रामीण स्तर पर 25000/–
- हॉट बाजाार स्तर पर 50000/– की चक्रीय राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रसंस्करण स्तर पर 2.00 लाख रू. का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

8- lHkkfor fyadst

- वन विभाग (लघु वनोपज संघ)
- जिला पंचायत
- महिला बाल विकास विभाग
- बैंकर्स

चिरौंजी प्रसंस्करण योजना

fgrxzkgh dkSu gks ldrs gSa \

- समस्त ग्रामीण जो चिरौंजी संग्रहण–प्रसंस्करण कार्य करने के इच्छुक हैं।

;kstuk dk mís'; %&

- अच्छी गुणवत्ता के परिपक्व चार गुठली का संग्रहण
- संग्राहकों को चार गुठली का उचित मूल्य दिलाना।

- चार गुठली के विनाश विहीन विदोहन को प्रोत्साहन देना
- चार वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।

;kstuk ds ykHk %&

- अच्छी गुणवत्ता के चार गुठली के उत्पादन से ग्रामीणों को उचित मूल्य प्राप्त होगा जिससे आय में वृद्धि होगा। चार वृक्षों का संरक्षण होगा।
- प्रसंस्करण से आय के अतिरिक्त स्त्रोत का विकास होगा।

ykHk izkIr djus ds pj.k %&

- ग्राम स्तर, हाट बाजार स्तर एवं प्रसंस्करण केन्द्र हेतु अलग–अलग स्व–सहायता समूहो का गठन करना जिन्हें कार्य के संचालन हेतु चक्रीय राशि ऋण प्रदान किया जाएगा एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

*ykHk izkIr djus ds fy, fdlls laidZ djuk gksxk *

- संबंधित प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी
- उप–वनमण्डलाधिकारी
- उप–प्रबंध संचालक
- वनमण्डलाधिकारी

*D;k ykHk izkIr gksxk *

*ykHk %&*ग्राम स्तर एवं हाट बाजार स्तर के समूहों को क्रमशः 15000/– एवं 50000/– की चक्रीय राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रसंस्करण हेतु स्व–सहायता समूहों को 300000/– का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। निःशुल्क प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा दी जाएगी।

- *lHkkfor fyadstl]* वन विभाग (लघु वनोपज संघ), जिला पंचायत, महिला बाल विकास, बैंकर्स

———0———

इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण

*fgrxzkgh dkSu gks ldrs gSa *

- समस्त ग्रामीण जो इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्य में कार्य करने के इच्छुक हैं।

;kstuk ds mís'; %&

- अच्छी गुणवत्ता के इमली का संग्रहण एवं प्रसंस्करण करना।

- ग्रामीणों को इमली का उचित मूल्य दिलाना।
- इमली उत्पादन में वृद्धि इमली रोपण को प्रोत्साहन देना।

;k tuk d ykHk %&

- ग्रामीणों को इमली का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
- इमली उत्पादन में वृद्धि होगी अंततः ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी।
- रोजगार के अतिरिक्त साधन का विकास होगा।

ykHk ikIr djus d pj.k %&

- ग्राम स्तर, हॉट बाजार एवं प्रसंस्करण स्तर पर स्व–सहायता समूह को गठन करेंगे।
- चक्रीय राशि/ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्व–सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ykHk ikIr djus d fy, fdl l lid djuk gkxk \

- संबंधित प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी
- उप–वनमण्डलाधिकारी
- उप–प्रबंध संचालक
- वनमण्डलाधिकारी

D;k ykHk ikIr gkxk \

ykHk %&ग्राम स्तर एवं हॉट बाजार स्तर के समूहों को 25000/– एवं 50000/– की चकीय राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रसंस्करण स्तर के समूह को 550000/– का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

lHkkfor fydtl

- वन विभाग (लघु वनोपज संघ)
- जिला पंचायत
- महिला बाल विकास विभाग
- बैंकर्स

fgrxkgh dku gk ldr g \

- ऐसे समस्त ग्रामीण जिनके पास कुसुम, बेर एवं पलाश के वृक्ष हैं।
- ऐसे ग्रामीण जो जन सहभागिता से शासकीय भूमि के कुसुम, बेर, पलाश वृक्षों का संरक्षण करने वाले स्व–सहायता समूह के सदस्य हों।

;kstuk dk mís'; %&

- लाख उत्पादन में वृद्धि करना एवं कृषकों को उसका उचित मूल्य दिलाना।
- लाख के पालक वृक्षों का संरक्षण करना एवं उनकी संख्या में वृद्धि करना।
- ग्रामीणों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत का विकास करना।
- ब्रूड लाख फार्म की स्थापना कर बीनह लाख की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

;kstuk dk ykHk %&

परंपरागत पद्धति से की जा रही लाख की खेती को वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करना जिससे लाख के उत्पादन में वृद्धि होगी एवं ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा वृक्षों का संरक्षण होगा। ग्राम स्तर, हॉट बाजार एवं प्रसंस्करण स्तर पर स्व–सहायता समूह का गठन किया जाएगा एवं उन्हें चक्रीय राशि एवं ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

ykHk izkIr djus dk pj.k %&

- प्रथम चरण में हितग्राहियों को लाख पालन के वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- पालक वृक्षों की कटाई–छटाई करते हैं।
- बीनह लाख प्रदाय किया जाता है जिसे पालक वृक्षों पर बांधते हैं तथा उनकी लाख उतार लेते हैं तथा विक्रय कर लाभ प्राप्त करते हैं।
- 6 से 8 माह तक देखभाल के पश्चात परिपक्व लाख की कटाई कर बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं।

ykHk izkIr djus ds fy, fdlls lEidZ djuk gksxk \

- संबंधित प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी
- उप–वनमण्डलाधिकारी / उप–प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं वनमण्डलाधिकारी

D;k ykHk izkIr gksxk \

- निःशुल्क प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता
- निःशुल्क बीनह लाख / कीटनाशक एवं आवश्यक उपकरण
- लाख का अधिक उत्पादन अंतिम रूप से अधिक मूल्य प्राप्त होगा।
- ग्राम स्तर एवं हॉट बाजार स्तर के स्व–सहायता समूह को क्रमशः 15000 /– एवं 50000 /– की चक्रीय राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

l Hkkfor fy d t l

- कृषि विभाग
- उद्यानिकी विभाग
- जिला पंचायत

वन विभाग (लघु वनोपज संघ) के संयुक्त प्रयास से लाख खेती के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

———0———

माहुल पत्ता प्रसंस्करण

*fgrxkgh dku gk l dr g *

- समस्त ग्रामीण जो माहुल पत्ते का संग्रहण करते हैं।
- समस्त महिला/पुरूष जो माहुल पत्ते से दोना पत्तल के बनाने एवं विपणन में कार्य करने के इच्छुक हों। स्व–सहायता समूह बनाकर कार्य कर सकते हैं।

;k tuk d mí'; %&

- ग्रामीणों को माहुल पत्ता का उचित मूल्य दिलाना।
- वैज्ञानिक विदोहन का प्रशिक्षण देकर माहुल बेला के संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना।
- प्रसंस्करण से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं उत्पाद का अधिक मूल्य प्राप्त करना।

;k tuk d ykHk %&

- सुदूर अंचल में माहुल पत्ता संग्रहण कार्य में लगे ग्रामीणों का उचित मूल्य मिलेगा।
- स्व–सहायता समूह द्वारा संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन करने से आय के अतिरिक्त स्त्रोत का विकास होगा एवं ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।

ykHk ikIr dju d pj.k %&

- इच्छुक हितग्राही स्थानीय वन कर्मी के सहयोग से ग्राम स्तर, हाट बाजार स्तर एवं प्रसंस्करण केन्द्र स्तर के स्व–सहायता समूह का गठन करें।
- माहुल पत्ते का संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन कार्य का चयन कर परिक्षेत्र अधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी को आवेदन पत्र देवें।
- स्व–सहायता समूह को आवश्यक उपकरण एवं प्रशिक्षण दिलाया जावेगा उसके पश्चात प्राप्त

चक्रीय राशि से माहुल पत्ता प्रसंस्करण का कार्य कर सकते हैं।

*ykHk ikIr djus dk fy, fdlls lEidZ djuk gksxk *

- प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी
- उप–वनमण्डलाधिकारी
- उप–प्रबंध संचालक
- वनमण्डलाधिकारी

*D;k ykHk ikIr gksxk *

- निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- प्रसंस्करण कार्य करने हेतु यदि भवन उपलब्ध नहीं है तो भवन निर्माण/मरम्मत कर समूह को कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवश्यक उपकरण निःशुल्क दिया जावेगा।
- कार्य संचालन हेतु ग्राम स्तर के स्व–सहायता समूह को 25000/– एवं हॉट बाजार स्तर के स्व–सहायकता समूह को 50000/– की चक्रीय राशि दी जावेगी एवं प्रसंस्करण केन्द्र स्तर के समूह को 2.00 लाख रू. का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

lEHkkfor fyadst

- वन विभाग एवं जिला पंचायत एवं महिला बाल विकास विभागो के समन्वय से इस कार्य में विस्तार किया जा सकेगा।

वृक्ष आधारित तेलीय बीज प्रसंस्करण

*fgrxzkgh dkSu gks ldrs gSa *

- तेलीय बीज संग्रहित करने वाले समस्त ग्रामीण।
- तेलीय बीज से प्रसंस्करण कर तेल निकालने वाले समस्त ग्रामीण।

*;kstuk dk mís'; D;k gS *

योजना के उद्देश्य :–

- बीज संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाना।
- स्थानीय उपयोग हेतु उचित मूल्य पर गुणवत्ता का तेल उपलब्ध कराना।

- ग्रामीणों का अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराना।

;ktuk dk ykHk D;k gS \

;ktuk dk ykHk %&

- तेल का उचित मूल्य दिलाना।
- बीज उत्पादन के समय के अतिरिक्त वर्ष के शेष माहों में निजी उपयोग हेतु तेल उपलब्ध कराना।
- प्रसंस्करण केन्द्रों से तेल उत्पादितकर आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना।

ykHk izkIr djus dk pj.k \

लाभ प्राप्त करने के चरण :–

- इच्छुक हितग्राही ग्राम स्तर पर स्व–सहायता समूह का गठन करना। हॉट बाजार एवं
- प्रसंस्करण स्तर पर स्व–सहायता समूह का गठन करना।
- स्व–सहायता समूह को अच्छा तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना।
- स्व–सहायता समूह को चक्रीय राशि प्रदान किया जाना।

ykHk izkIr djus ds fy, fdl ls lEidZ djuk gksxk \

- संबंधित प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी
- उप–वनमण्डलाधिकारी
- उप–प्रबंध संचालक
- वनमण्डलाधिकारी

D;k ykHk izkIr gksxk \

लाभ :–

- ग्राम स्तर के स्व–सहायता समूहों को 15000/– की सहायता ।
- हाट बाजार स्तर के स्व–सहायता समूहों को 50000/– की सहायता
- प्रसंस्करण स्तर पर स्व–सहायता समूहों को 3.50 लाख का ऋण उपलब्ध कराना
- अन्य तकनीक जानकारी उपलब्ध कराना।

lHkkfor fyadst

- वन विभाग (लघु वनोपज संघ)
- जिला पंचायत

- महिला बाल विकास विभाग
- बैंकर्स

शहद उत्पादन, संग्रहण एवं प्रसंस्करण

*fgrxkgh dku gk ldr g *

- समस्त ग्रामीण जो शहद संग्रहण के इच्छुक हों।
- हॉट बाजार स्तर के समस्त ग्रामीण जो शहद क्रय विक्रय करने के इच्छुक हों।
- जिला यूनियन स्तर पर शहद लाकर प्रसंस्करण केन्द्र तक पहुंचाने के लिए इच्छुक हितग्राही।

;k tuk d mí'; %&

- वैज्ञानिक पद्धति से विदोहन को प्रोत्साहन देकर शहद उत्पादन में वृद्धि करना।
- ग्रामीणों को शहद का उचित मूल्य दिलाना एवं आय के अतिरिक्त स्त्रोत के रूप में विकास करना।

;k tuk d ykHk %&

- ग्रामीणों को शहद का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
- शहद के उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी।
- वृक्ष एवं झाड़ियों के संरक्षण से वनों का संरक्षण होगा एवं भू–जल स्तर में वृद्धि होगी।

ykHk ikIr dju d pj.k %&

- इच्छुक हितग्राही ग्राम स्तर पर शहद संग्रहण हेतु स्व–सहायता समूह का गठन करेंगे।
- हॉट बाजार स्तर पर इच्छुक हितग्राही ग्राम स्तर के समूह से शहद क्रय हेतु स्व–सहायता समूह का गठन करेंगे।
- जिला यूनियन स्तर पर एक स्व–सहायता समूह गठित करेंगे जो समस्त केन्द्रों से शहद प्रसंस्करण केन्द्रों तक पहुंचाएगा।
- स्व–सहायता समूह को चक्रीय राशि एवं ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

*ykHk ikIr dju d fy, fdl l lid djuk gkxk *

- संबंधित प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी

- उप–वनमण्डलाधिकारी
- उप–प्रबंध संचालक
- वनमण्डलाधिकारी

D;k ykHk ikIr gksxk \

लाभ :–

- ग्राम स्तर के स्व–सहायता समूह को 15000/– की चक्रीय राशि दी जावेगी।
- हॉट बाजार स्तर के स्व–सहायता समूह को 50000/– की चक्रीय राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
- जिला यूनियन स्तर के स्व–सहायता समूह को 2 लाख रू. का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

lEHkkfor fyadst

- वन विभाग (लघु वनोपज संघ)
- जिला पंचायत
- महिला बाल विकास विभाग
- बैंकर्स

&&&0&&&

वनौषधि संग्रहण एवं प्रसंस्करण

fgrxzkgh dkSu gks ldrs gSa \

- वनौषधि संग्रहण का कार्य समस्त ग्रामीण कर सकते हैं। प्रसंस्करण का कार्य वनौषधियों के जानकार व्यक्ति ही कर सकते हैं।
- ग्रामीणों का स्तर एवं प्रसंस्करण केन्द्र स्तर पर यह कार्य स्व–सहायता समूह के माध्यम से किया जावेगा।

;kstuk dk mís'; %&

- ग्रामीणों को वनौषधियों के संग्रहण की वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देकर वनौषधियों को विनाश विहीन विदोहन करने के लिए प्रेरित करना।
- प्रसंस्करण की सही तकनीकी का प्रशिक्षण देकर ग्रामीणों को उचित मूल्य दिलाना।
- आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना।

;k tuk d ykHk %&

- वनांचल के निवासियों की आय में वृद्धि होगी।
- विनाश विहीन विदोहन से जैव विविधता संरक्षित होगी।
- चिकित्सा की परंपरागत पद्धति का संरक्षण एवं विकास होगा।
- जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

ykHk ikIr dju d pj.k %&

- इच्छुक हितग्राही ग्राम स्तर पर एवं प्रसंस्करण केन्द्र स्तर पर स्व–सहायता समूह का गठन करेंगे।
- स्व–सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कार्य हेतु चक्रीय राशि प्रदान की जावेगी।

ykHk ikIr dju d fy, fdl l lid djuk gkxk \

- प्रबंधक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
- परिक्षेत्र अधिकारी
- उप–वनमण्डलाधिकारी
- उप–प्रबंध संचालक
- वनमण्डलाधिकारी

D;k ykHk ikIr gkx \

- निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- निःशुल्क एवंकरण एवं तकनीकी सहायता
- ग्राम स्तर के स्व–सहायता समूह को रू. 25000/– की चक्रीय राशि एवं प्रसंस्करण केन्द्र स्तर के स्व–सहायता समूह को 100000/– का ऋण/चक्रीय राशि प्रदान की जावेगी।

lHkkfor fyd t l

- वन विभाग (लघु वनोपज संघ)
- जिला पंचायत
- महिला बाल विकास विभाग
- बैंकर्स

–––0–––

समूह बीमा योजना

ie[k fcUn %&

- समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होंगे।
- संग्राहक की मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति/वारिस बीमे की रकम पाने के हकदार होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली बीमा राशि अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।
- संग्राहक को प्रीमियम नहीं देना होगा। यह राशि शासन देगा।
- इस योजना का क्रियानवयन छ.ग. लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जावेगा।
- संग्राहक की मृत्यु होने पर निम्नानुसार राशि प्राप्त होगी :–

(क)	सामान्य मृत्यु होने पर	–	3500/–रू.
(ख)	दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांग होने पर	–	12500/–रू.
(ग)	दुर्घटना से पूर्णतः विकलांग/मृत्यु होने की दशा में	–	25000/–रू.

ifØ;k %&

- नामांकित व्यक्ति/वारिस निर्धारित दावा फार्म भरकर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक को प्रस्तुत करेंगे।
- दावा फार्म के साथ सरपंच द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया जावे।
- दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में
    1) थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) की प्रति।
    2) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पी.एम. रिपोर्ट)
    3) पुलिस कन्क्लूजन रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट)
- इसके अतिरिक्त संग्राहक कार्ड, उर्म प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, वोटर लिस्ट एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।
- बीमा दावा प्रकरण छः माह के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए अन्यथा दावा स्वयमेव समाप्त माना जावेगा।

जनश्री बीमा योजना

izeq[k fcUnq %&

- यह योजना 01.05.2007 से लागू है।
- इसके अंतर्गत संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य हो, उनकी मृत्यु/विकलांगता होने पर बीमा राशि प्राप्त होगी।
- निम्नानुसार बीमा राशि प्राप्त होगी।

(क)	सामान्य मृत्यु होने पर	–	रू. 20000/–
(ख)	दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांग होने पर	–	रू. 25000/–
(ग)	दुर्घटना से पूर्णतः विकलांग/मृत्यु होने की दशा में	–	रू. 50000/–

izfØ;k %&

- नामांकित व्यक्ति/वारिस निर्धारित दावा फार्म भरकर प्राथमिक वनोजप सहकारी समिति के प्रबंधक को प्रस्तुत करेंगे ।
- निम्न अभिलेख आवश्यक होंगे –
  (1) संग्राहक कार्ड
  (2) मृत्यु प्रमाण पत्र
  (3) दावेदार एवं मृतक के संबंध में जानकारी, नाबालिक होने की स्थिति में अभिभावक का नाम।
  (4) अभिभावक का नाम
  (5) उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
  (6) दुर्घटना से मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. परीक्षण रिपोर्ट (पी.एम. रिपोर्ट) की प्रति एवं एस.पी. कार्यालय से जारी अंतिम रिपोर्ट।
- दावा प्रकरण समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात प्रकरण घटित होने के छः माह के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

———0———

शिक्षा सहयोग योजना

ie[k fcUn %&

- इस योजना के अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के दो संतान पात्र होंगे।
- मुखिया के संतान जो 9 वीं से 12वीं के बीच तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले सदस्यों को रू. 300/- प्रति तिमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

ifØ;k %&

- परिवार का मुखिया निर्धारित फार्म में आवेदन करेंगे। छात्र के संबंध में संस्था/शाला के सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र अंकित करेंगे। इसके साथ विगत शिक्षा वर्ष का परिणाम पत्रक संलग्न करना होगा।
- यह आवेदन प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग होगा ।
- प्रत्येक वर्ष मई एवं आगामी वर्ष के अप्रैल तक के लिए लागू होगा।

पौधा प्रदाय योजना

;ktuk dk mís'; %&

- जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करना।
- वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली का प्रसार एवं पर्यावरण में सुधार।
- वनोपज की आपूर्ति में सुधार।

;ktuk dk lf{kIr fooj.k %&

जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर उनकी आर्थिक उन्नति करते तथा वनेत्तर क्षेत्राों में हरियाली के प्रसार करने हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने की यह योजना राज्य के सभी जिलों में प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत प्रति हितग्राही एक रूपये की रियायती दर पर अधिकतम 1000 पौधे तक प्रदाय कियें जा सकेंगे। 50 से अधिक पौधों का रियायती दर पर प्रदाय ग्राम पंचायत/संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि हितग्राही ने रोपण हेतु स्थजल तैयारी कर ली है, पर ही किया जाएगा। हितग्राही प्रदायित पौधों के रोपण, उसकी सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी होगा। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 100 लाख पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये जायेंगे। भविष्य में जनता में योजना के प्रति रूचि के आधार पर योजना का विस्तार किया जायेगा।

forj.k grq iLrkfor iztkfr;k¡&

खम्हार, बांस, सागौन, करंज, आंवला, कटहल, नीलगिरी, नीम, मुनगा, रतनजोत, सिरस, शिशु इत्यादि।

;kstuk dk {ks= & राज्य के सभी जिलों में यह योजना लागू की जायेगी।

;kstuk dh ykxr &

योजनांतर्गत पौधों की तैयारी हेतु 4 रूपये प्रति पौधे के दर से 400 लाख रूपये की वित्तीय आवश्यकता प्रति वर्ष होगी। इस योजना पर आगामी 5 वर्षों में 20 करोड़ रूपये व्यय प्रस्तावित है।

foRrh; L=ksr & योजना राज्य आयोजना अंतर्गत प्रस्तावित है।

;kstuk ls ykHk &

- प्रति वर्ष 5 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन।
- पर्यावरण में सुधार।
- आम जनता में पौधा रोपण के प्रति जागृति।
- भविष्य में जनता को ईमारती, जलाऊ एवं ईधन हेतु वनोपज की आपूर्ति में सुधार।
- भू–जल में सुधार।

–––0–––

हरियाली प्रसार योजना

;kstuk dk mís'; %&

- पड़त भूमि का विकास।
- कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामवासियों की आर्थिक उन्नति।
- पर्यावरण में सुधार।

;kstuk laf{kIr fooj.k %&

कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामवासियों के आर्थिक उन्नति हेतु हरियाली प्रसार योजना प्रारंभी की जायेगी। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के इच्छुक कृषकों तथा सामान्य

श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में उनकी इच्छित प्रजाति के न्यूनतम 250 पौधे तथा अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किये जायेंगे। हितग्राही द्वारा पौधा रोपण हेतु उपयुक्त नाप के गड्ढों की खुदाई के व्यय से करनी होगी। हितग्राही की पड़त भूमि पर हितग्राही द्वारा खोदे गये गड्ढों में, वर्षा ऋतृ में पौधा का रोपण एवं दो निंदाई–गुड़ाई कर भावी रखरखाव के लिये हितग्राही को सौंपा जायेगा। पौधों के रखरखाव हेतु आगामी 2 वर्षों में 1 रूपये प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा। योजनांतर्गत मुख्यतः खम्हार, बांस, सागौन, आंवला, कटहल, नीलगिरी, सिरस, मुनगा, शिशु, जेट्रोफा आदि पौधे रोपित किये जायेंगे। हितग्राहियों का चयन स्थानीय ग्राम पंचायत/संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जावेगा। रोपण हेतु प्रति पौधा 11 रूपये व्यय आंकलित है जिसमें पौधा तैयारी, पौधा परिवहन, रोपण, दोबार निंदाई एवं खाद का व्यय शामिल है। रोपण हेतु प्रजातियों का चयन हितग्राही की सहमति से किया जायेगा। भू–राजस्व संहिता के प्रचलित नियमों के अंतर्गत भू–अभिलेखों में इस रोपण का इंद्राज किया जायेगा ताकि पौधों के परिपक्व होने पर हितग्राही को विदोहन में कठिनाई न हों।

jki.k gr iLrkfor itkfr;k- &

खम्हार, बांस, सागौन, आंवला, कटहल, नीलगिरी, नीम, सिरस, मुनगा, शिशु, रतनजोत इत्यादि।

;ktuk dk {k= &

योजना राज्य के सभी जिलों में योजना लागू की जायेगी। कम वन क्षेत्र वाले तिन जिलों दुर्ग, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर में अधिक लक्ष्य दिया जायेगा।

;ktuk dk ykxr &

योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 50 लाख पौधों का रोपण 5.50 करोड़ रूपये की लागत से किया जायेगा। इस योजना में आगामी 5 वर्षों में 25000 हितग्राहियों की भूमि में कुल 2.50 करोड़ पौधों का रोपण प्रस्तावित है, जिन पर 27 करोड़ 50 लाख रूपये कुल व्यय होगा।

foRrh; L=kr &

यह योजना राज्य आयोजना सामान्य, आदिवासी उपयोजना एवं विशेष घटक योजना के अंतर्गत क्रियान्वित करना प्रास्तावित है।

;ktuk l ykHk &

- प्रति वर्ष लगभग 7 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन।
- पड़त भूमि का विकास।
- पर्यावरण में सुधार।
- वनोपज के उत्पादन में वृद्धि।

- भू–जल स्तर में सुधार।
- वन्य प्राणी द्वारा जनहानि/घायल करने पर क्षतिपूर्ति सहायता

i e[k fcUn %&

वन्यप्राणी शेर, तेन्दुआ, भालू, भेड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, घड़ियाल, जंगली भैंसा, सिंह एवं सियार के हमले से घायल/मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति सहायता की पात्रता है। क्षतिपूर्ति सहायता की राशि निम्नानुसार होगी –

(क)	घायल के उपचार हेतु	–	अधिकतम रू. 10000/–
(ख)	अपंग होने पर	–	रू. 50000/–
(ग)	जनहानि (मृत्यु) होने पर	–	रू. 150000/–

घायल होने पर रू. 500/– एवं जनहानि होने पर रू. 1000/– अग्रिम धन राशि तत्काल दिया जावेगा।

वन्यप्राणी से संबंधित अपराध में लिप्त होने/प्रेरित करने/सहायता करने में पाये जाने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

i fØ;k &

वन्यप्राणी द्वारा घायल/जनहानि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस/वन अधिकारी को देवें।

घायल व्यक्ति, सक्षम चिकित्साधिकारी से उपचार का प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखोंके आधार पर स्वयं परिक्षेत्र अधिकारी को आवेदन कर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

जनहानि (मृत्यु) होने पर शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक होगा।

i 'k gkfu idj.kk e {kfr ifr lgk;rk

i e[k fcUn %&

- शेर, तेन्दुआ एवं जंगली हाथी द्वारा मवेशी मारे जाने पर क्षतिपूर्ति दिया जावेगा।
- अधिकतम रू. 8000/– क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है।

'kr ,o i fØ;k %&

- घटना के 48 घंटे के अंदर सूचना अधिकतम वनाधिकारी/वन कर्मचारी मौखिक रूप से दिया जाना आवश्यक है।
- मारी गयी मवेशी को मारे जाने के स्थान से हटाया नहीं गया हो अथवा उसमें विष का लेप न किया गया हो।

- मवेशी मारे जाने के 6 दिन के अंदर 10 कि.मी. की परिधि के अंदर किसी भी शेर, तेन्दुआ की मृत्यु विषैली वस्तु खाने से न हुई हो।
- मवेशी के वास्तविक मूल्य का सत्यापन ग्राम पटेल, सरपंच, पटवारी अथवा स्थानीय व्यक्तियों के पंचनामा से कराना होगा।
- मवेशी यदि प्रतिबंधित वन क्षेत्र में चर रहा था तो क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती है।
- यदि मवेशी घायल होकर बच जाए और वापस आ जाए जो उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती है।
- यदि शेर, तेन्दुआ को हमले पर भगा दिया गया हो और एक से अधिक मवेशी को मारा गया हो तो केवल प्रथम मवेशी की क्षतिपूर्ति दी जायेगी, दुसरे और तीसरे मवेशी की नहीं।
- पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- मवेशी को शेर, तेन्दूआ द्वारा मरे जाने की घटना का सत्यापन वन विभाग के अधिकारी जो कि कम से कम परिक्षेत्र सहायक स्तर के हो, के द्वारा किया जाना चाहिये।

वन्य जीवों द्वारा फसलों/गृह/सम्पत्ति को क्षति पहुँचाये जाने पर सहायता

i|e|[k fcUn| %&

- जंगली हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर एंव बनैली गायों द्वारा किसानों की फसलों/गृह/सम्पत्ति की क्षति पहुँचाये जाने पर सहायता का प्रावधान है।
- फसल हानि के लिए सहायता।

Ø-	*d"kd J.kh*	*25% l 50%*	*50% l 75%*	*75% l vf/kd*
1.	असिंचित 4 हे. तक के कृषक	रू. 1000/— प्रति हे.	रू. 2000/— प्रति हे.	रू. 1000/— प्रति हे.
2.	असिंचित 4 हे. से 10 हे. तक	रू. 1000/— प्रति हे.	रू. 2000/— प्रति हे.	अधिकतम रू. 12000/— तक
3.	असिंचित 10 हे. से अधिक	——	रू. 1000/— प्रति हे.	रू. 1000/— प्रति हे.
4.	एक हे. से कम भूमि	न्यूनतम रू. 1000/—	न्यूनतम रू. 2000/—	अधिकतम रू. 12000/— तक

- पक्का मकान पूर्णतः नष्ट हो जाने पर आंकलन के आधार पर अधिकतम रू. 10000/— तक प्रति मकान सहायता देय होगी। भूमिहीन मजदूर को अधिकतम रू. 12000/— देय होगा।

- कच्चा मकान पूर्णतः नष्ट हो जाने पर अधिकतम रू. 6000 प्रति मकान सहायता राशि देय होगी। भूमिहीन मजदूर के लिए 7200/— प्रति मकान देय होगा।
- पक्के/मकान के अंशतः क्षतिग्रस्त होने पर अधिकतम रू. 2000/— प्रति मकान सहायता अनुदान देय होगा। भूमिहीन मजदूर के लिए अधिकतम रू. 2400/— तक देय होगा ।
- जिन मकानों में साधारण क्षति हो उनके मरम्मत के लिए अधिकतम रू. 800/— सहायता अनुदान देय होगा। भूमिहीन मजदेर के लिए अधिकतम रू. 1000/— देय होगा।
- क्षतिग्रस्त मकानों के मलवा हटाने हेतु प्रति मकान रू. 500/— देय होगा।
- फलदार वृक्षों के लिए रू. 200/— प्रति वृक्ष परन्तु अधिकतम रू. 10000/— देय होगा। आम, संतरा, नीबू के बगीचों पर रू. 12000/— की अधिकतम सहायता देय होगी।
- पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि फसलों के लिए रू. 4000/— प्रति हे. परन्तु अधिकतम अनुदान रू. 12000/— देय होगा।
- खातेदार अथवा उसकी सहमति से खेती कर रहा कृषक अनुदान सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा।

ifØ;k %&

- आवेदक से आवेदन प्राप्त होने या स्वयं की जानकारी से परिक्षेत्र अधिकारी विवरण दर्ज कर परिक्षेत्र सहायक से क्षति का आंकलन करावेंगे।
- क्षति का आंकलन सरपंच, परिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक, पटवारी एवं वन प्रबंध समिति के अध्यक्ष की समिति द्वारा किया जावेगा।
- पटवारी, सरपंच तथा परिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

संयुक्त वन प्रबंधन

mís'; %&

- वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करना।
- वनों के प्रति स्थानीय जन समुदाय में स्वामित्व की भावना का विकास करना जिससे संरक्षित किया जा सके।
- वनों से होने वाले लाभ में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

xBu dh izfØ;k %&

- सरपंच की अध्यक्षता में वोट का अधिकार रखने वाली ग्राम सभा को आबादी के 50: या अधिक ग्रामवासी आय सहमति से वन प्रबंधन समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करेंगे।
- तत्पश्चात एक अध्यक्ष एवं एक अपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
- जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- अध्यक्ष/अपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य है।

dk;Zdkfj.kh %&

- समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कम से कम 11 तथा अधिकतम 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा :–
- संबंधित समिति के निर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर समिति कार्यकारिणी को मनोनीत करेगी।
- संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/अपाध्यक्ष कार्यकारिणी के भी पदेन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेंगे।
- कार्यकारिणी में सभी सदस्यों को मिलाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथा संभव उनकी जनसंख्या के अनुपात में चयन किया जावेगा।

{ks= p;u %&

- वन क्षेत्र से 5 कि.मी. की दूरी तक स्थित ग्रामों को वनक्षेत्रपाल से अंतिम स्तर का अधिकारी ग्रामवासियों से चर्चा कर समिति के लिए क्षेत्र का चयन कर आबंटित करेगा।

cSBd &

- कार्यकारिणी की बैठक 3 माह में न्यूनतम एक बार होना आवश्यक है, जबकि आम सभा की बैठक 6 माह में एक बार बुलाइ जावेगी। कार्यकारिणी हेतु 50: तथा आमसभा हेतु 30: आवश्यक होगी।

lfefr d s vf/kdkj ,oa drZO; %&

- अधिकार उपलब्धता अनुसार विदोहन व्यय लेते हुए रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी।
- समिति के आबंटित क्षेत्र में कराए गए विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिर्रा सफाई से प्राप्त शत प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए समिति को दिया जाएगा।
- अंतिम विदोहन या मुख्य पातन से प्राप्त लाभ के 15: राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

- समिति के सहयोग से पकड़े गए अपराधों से वसूल की गई मावजा/अर्थदण्ड की 50: राशि समिति को प्रदाय की जाएगी।

dr0; %&

- समिति के सदस्यों द्वारा वन को अग्नि, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण एवं शिकार से बचाव किया जाना एवं वन विभाग को सहयोग करना।
- वन अपराध में लिप्त व्यक्तियों की सूचना वन विभाग को देना।
- वन विभाग के साथ मिलकर सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।
- वन अपराधों की जांच में वन अधिकारी को सहयोग देंगे।

उद्यानिकी

फल पौध रोपण योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	फल–पौध रोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी श्रेणी के कृषक
5.	मिलने वाला लाभ	–	1. केला प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत 1/10 हेक्टेयर के लिये 2250 रु. प्रति प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है। 2. टायवर्किग (शिख रोपण) बेर, आंवला एवं आम के देशी पौधों को टापवक्रिंग से अच्छी किस्म में परिवर्तित करना।

सब्जी विकास कार्यक्रम

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	सब्जी विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	कृषक
5.	मिलने वाला लाभ	–	योजना में अनुदान राशि कृषकों को उपलब्ध करायी जावेगी।

व्यवसायिक पुष्प विकास

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	पुष्प विकास को प्रोत्साहन देना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	कृषक
5.	मिलने वाला लाभ	–	पुष्पों की खेती में विस्तार, पुष्प प्रदर्शन और कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

औषधि पौधों का विकास

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	उद्यानिकी विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	औषधि पौधों के विकास कफो बढ़ावा देना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	कृषक
5.	मिलने वाला लाभ	–	औषधिय एवं सुगंधित पौधों /फसलों को बढ़ावा देने के साथ हर्बल गार्डन, हर्बल रोपणी, बीज उत्पादन केन्द्र की स्थापना करना है।

मशरुम की खेती का विकास

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	उद्यानिकी एवं कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	योजना के तहत कृषकों में मशरुम की खेती को बढ़ावा देना है।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	कृषक

नवीन पौध रोपण

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	उद्यानिकी एवं कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	कृषकों को दी जाने वाली नवीन पौधों के रोपण एवं रखरखाव हेतु व्यवस्था की जानकारी प्रदान करता है।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	कृषक

समन्वित मसाला विकास

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	उद्यानिकी विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	कृषकों को दी जाने वाली नवीन पौधों के रोपण एवं रखरखाव हेतु व्यवस्था की जानकारी प्रदान करता है।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	कृषक

कृषि में प्लास्टिक उपयोग

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	उद्यानिकी एवं कृषि विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	योजना के तहत गिरते जल स्तर को ध्यान में रखते हुये उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई पद्वति को प्रोत्साहन देना है।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	कृषक

मत्स्य पालन

त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था तहत् स्वरोजगार मूलक योजना

राज्य पोषित :–

शिक्षण – प्रशिक्षण

¿1-1À foHkkxh; if'k{k.k %&

1.	योजना का नाम	–	शिक्षण – प्रशिक्षण (मछुआरों का प्रशिक्षण)
2.	विभाग का नाम	–	मछलीपालन विभाग
3.	योजना का उद्देश्य	–	सभी श्रेणी के मछुआरों को मछलीपालन की तकनीक एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें दो नामांकित अशासकीय सदस्य तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग होते है, द्वारा मछुआरों का चयन किया जाता है। विभाग द्वारा 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	चयन किये गये मछुआरों को जिले में स्थित मत्स्य/मत्स्य बीज केन्द्रों पर विभाग के अधिकारियों द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने–जाने का किराया एवं 750/–की प्रशिक्षणवृत्ति प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है। जाल बुनने के लिए 2 कि.ग्रा. तक नायलोन धागा भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता हैं। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर व्यय रू. 1250/– का प्रावधान है।
6.	हितग्राही के उपयोगार्थ निर्धारित आवेनदन–पत्र का प्रारूप	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता द्वारा आवेदन–पत्र उपलब्ध।
7.	आवेदन–पत्र प्राप्त अथवा जमा करने की प्रक्रिया	–	मछुआरे जिन्हें शासकीय विभगीय या पंचायत के माध्यम से तालाब/जलाशय दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर प्रदाय किये गये है। वे मछलीपालन तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
8.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता के पास जमा।
9.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य

	किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।		पालन प्रसार कार्यकर्ता / जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी।

1-2 eN|vkjk dk v/;;u Hkze.k %&

1.	योजना का नाम	–	शिक्षण–प्रशिक्षण (मछुआरों का अध्ययन भ्रमण)
2.	विभाग का नाम	–	मछली पालन विभाग
3.	योजना का उद्देश्य	–	प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछलीपालन कर प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण पर भेजना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	जिला पंचायत द्वारा मछलीपालन में सक्रिय मछुआरों की चयनित सूची के आधार पर अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	जिला पंचायत द्वारा चयनित प्रगतिशील मछुआरों को अन्य राज्य में अपनाई जा रही मछलीपालन कीआधुनिक तकनीकी का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु राज्य के बाहर अध्ययन–भ्रमण पर भेजा जाता है। प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने–जाने का किराया एवं 75 / – रू. प्रति दिवस के मान से 750 / – रू. प्रशिक्षणवृत्ति प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है। प्रति 2000 / – व्यय किये जाने का प्रावधान है।
6.	हितग्राही के उपयोगार्थ निर्धारित आवेनदन–पत्र का प्रारूप	–	विकासखड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक / मत्स्य पालन प्रसार कार्यक्रम द्वारा आवेदन–पत्र उपलब्ध।
7.	आवेदन–पत्र प्राप्त अथवा जमा करने की प्रक्रिया	–	मछुआरे जिन्हें शासकीय विभागीय या पंचायत के माध्यम से तालाब / जलाशय दीर्घ अवधि के लिएए पट्टे पर प्रदाय किये गये है। वे मछलीपालन तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
8.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन–किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक / मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता के पास जमा।
9.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक / मत्स्य

–किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।		पालन प्रसार कार्यकर्ता/जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी।

{2} मत्स्य सहकारिता :–

2.1 अनुसूचित जाति/जनजाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान :

1.	योजना का नाम	–	अनुसूचित जाति/जनजाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान
2.	विभाग का नाम	–	मछलीपालन विभाग
3.	योजना का उद्देश्य	–	अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	अनुसूचितजाति/जनजाति की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति होना आवश्यक है। समिति को पंचायत अथवा शासकीय या अर्धशासकीय तालाबों को कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लेकर मछलीपालन विभाग के मार्गदर्शन में मत्स्यपालन कर रहा है। समिति द्वारा जिला पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर।
5.	मिलने वाला लाभ	–	समिति को पंचायत अथवा शासकीय या अर्धशासकीय तालाबों को कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लेकर मछलीपालन विभाग के मार्गदर्शन में मत्स्यपालन कर रहा है। उन्हें रू. 25000/– तक की अधिकतम सीमा अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि में हिस्सा पूंजी, तालाब की पट्टा राशि मत्स्यबीज क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा एवं डोंगा क्रय आदि पर अनुदान दिया जाता है।
6.	हितग्राही के उपयोग निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप	–	विकासखड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यक्रम द्वारा आवेदन–पत्र उपलब्ध।
7.	आवेदन–पत्र प्राप्त अथवा जमा करने की प्रक्रिया	–	मछुआरे जिन्हें शासकीय विभागीय या पंचायत के माध्यम से तालाब/जलाशय दीर्घ अवधि के लिए पठ्टे पर प्रदाय किये गये है। वे मछलीपालन तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
8.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता के पास जमा।

9.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता/जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी

2.2 पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान :

1.	योजना का नाम	–	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिमियों को ऋण एवं अनुदान।
2.	विभाग का नाम	–	मछलीपालन विभाग
3.	योजना का उद्देश्य	–	सभी वर्ग के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछलीपालन हेतु उपकरण एवं अन्य प्रयोजनों तथा तालाब पट्टा, मत्स्य बीज, नाव–जाल इत्यादि हेतु ऋण अथवा पात्रतानुसार ऋण/अनुदान उपलब्ध कराना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को पंजीकृत होना आवश्यक है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	समिति को पंचायत अथवा शासकीय या अर्धशासकीय तालाबों को कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लेकर मछलीपालन विभाग के मार्गदर्शन में मत्स्यपालन कर रहा है। उन्हें रू. 25000/– तक की अधिकतम सीमा अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि में हिस्सा पूंजी, तालाब की पट्टा राशि मत्स्यबीज क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा एवं डोंगा क्रय आदि पर अनुदान दिया जाता है।
6.	हितग्राही के उपयोगार्थ निर्धारित आवेनदन–पत्र का प्रारूप	–	विकासखड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यक्रम द्वारा आवेदन–पत्र उपलब्ध।
7.	आवेदन–पत्र प्राप्त अथवा जमा करने की प्रक्रिया	–	मछुआरे जिन्हें शासकीय विभागीय या पंचायत के माध्यम से तालाब/जलाशय दीर्घ अवधि के लिएए पठ्टे पर प्रदाय किये गये है। वे मछलीपालन तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

8.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता के पास जमा।
9.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता/जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी ।

{3} मत्स्य पालन प्रसार

1.	योजना का नाम	–	मत्स्य पालन प्रसार (राज्य आयोजन)
2.	विभाग का नाम	–	मछली पालन विभाग
3.	योजना का उद्देश्य	–	अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा पालन एवं आलंकारिक मत्स्योद्योग विकास के लिए एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही को मौसमी तालाब में स्पॉन संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन पर तथा जनजाति/सामान्य वर्ग के हितग्राही को नाव–जाल क्रय पर आर्थिक सहायता/अनुदान।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	जिला पंचायत की अध्यक्षयता में गठित समिति जिसमें दो नामांकित अशासकीय सदस्य तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग होते हैं द्वारा मछुआरों का चयन किया जाता है।
5.	मिलने वाला लाभ	–	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के मछुआरों को झींगा पालन एवं आलंकारिक मत्स्योद्योग विकास के लिए झींगा पालन हेतु अधिकतम 3 वर्ष की सीमा में वस्तु विशेष के रूप में रू. 15000/– एवं आलांकारिक मत्स्योद्योग हेतु रू. 12000/– अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही को मौसमी तालाब में स्पॉन संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन पर वस्तु विशेष के रूप में रू. 30000/– तथा जनजाति/सामान्य वर्ग के हितग्राही को नाव–जाल क्रय पर वस्तु विशेष के रूप में रू. 10000/– की आर्थिक सहायता/अनुदान ।
6.	हितग्राही के निर्धारित आवेनदन –पत्र का प्रारूप	–	विकासखड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यक्रम द्वारा आवेदन–पत्र उपलब्ध।

7.	आवेदन–पत्र प्राप्त अथवा जमा करने की प्रक्रिया	–	मछुआरे जिन्हें शासकीय विभागीय या पंचायत के माध्यम से तालाब/जलाशय दीर्घ अवधि के लिएए पट्टे पर प्रदाय किये गये है। वे मछलीपालन तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
8.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता के पास जमा।
9.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता/जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

2. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना

1.	योजना का नाम	–	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना)
2.	विभाग का नाम	–	मछली पालन विभाग
3.	योजना का उद्देश्य	–	ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी–रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को स्व–रोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं मत्स्यपालन हेतु दीर्घ अवधि पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि में तालाब बनाने, हैचरी स्थापित करने, फीड मील स्थापित करने, एरियेटर स्थापित करने एवं एकीकृत मछलीपालन इकाई स्थापित करने पर मत्स्यपालकों को अनुदान उपलब्ध कराना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	1. मछली पालन से संबंधित कोई भी व्यक्ति हितग्राही हो सकता है। 2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के मछुआरे जो ग्रामीण तालाब हेतु पट्टे पर लेकर अभिकरण अंतर्गत मछलीपालन करते है, हितग्राही होंगे।
5.	मिलने वाला लाभ	–	ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी–रेखा के नीचे जीवन–यापन करने

			वाले लोगों को स्व–रोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं मत्स्यपालन हेतु दीर्घ अवधि पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि में तालाब बनाने, हैचरी स्थापित करने, फीड मील स्थापित करने, एरियेटर स्थापित करने एवं एकीकृत मछलीपालन इकाई स्थापित करने पर मत्स्यपालकों को बैकों के माध्यम से आर्थिक सहायता एवं नियमानुसार अनुदान उपलब्ध करायी जाएगी।
6.	हितग्राही के उपयोगार्थ निर्धारित आवेनदन–पत्र का प्रारूप	–	विकासखड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यक्रम द्वारा आवेदन–पत्र उपलब्ध।
7.	आवेदन–पत्र प्राप्त अथवा जमा करने की प्रक्रिया	–	मछुआरे जिन्हें शासकीय विभागीय या पंचायत के माध्यम से तालाब/जलाशय दीर्घ अवधि के लिएए पट्टे पर प्रदाय किये गये है। वे मछलीपालन तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
8.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता के पास जमा।
9.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन –किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता/जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी ।

–––0–––

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत मत्स्य पालकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता

Ø-	Hkkjr ljdkj vkj jkT; ljdkjk@l?kk 'kkflr in'kk dk chp 75%25 dk vk/kkj ij 0;;	nj
1.	लाभार्थियों की अपनी भूमि पर इनलेट, आउटलेट और उथले ट्यूबवेलों की अच्छी तरह जांच करने के बाद नये तालाबों और टैंकों का निर्माण।	मैदानी क्षेत्रों में 3000 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर/अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को छोड़कर जिनके लिए अधिकतम सीमा रू. 75,000/– प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है, सभी किसानों की अधिकतम सीमा से 20 प्रतिशत की दर पर राजसहायता दी जाती है।
2.	तालाबों/टैकों का पुर्नरूद्वार/नवीनीकरण	75,000 प्रति हैक्टेयर सभी किसानों को 15000 रू. प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राजसहायता अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को छोड़कर इनके लिए यह 18750 रू. प्रति हैक्टेयर (25 प्रतिशत) है।
3.	मछली बीमारियों के लिए प्रथम वर्ष आदान (मछली, बीज, मछली आहार, उर्वरक, खाद और नियंत्रक उपाय) ईयूएस	50,000 रू. प्रति हैक्टेयर सभी किसानों के लिए 10000 रू. प्रति हैक्टेयर की दर स राजसहायता, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को छोड़कर जिसके लिए यह 12500 रू. प्रति हैक्टेयर (25 प्रतिशत) है।
4.	ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी	मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फ्राई) क्षमता वाली एक मत्स्यबीज हैचरी के लिए 12.00 लाख रू. तथा मैदानी क्षेत्रों में 1.20 रू. की अधिकतम सीमा के साथ राज सहायता केवल उद्यमियों को।

ukV %&

- अभिकरण योजनांतर्गत उपरोक्त सहायता लाभार्थियों को केवल एकबार उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघों के जरिए मछुआरा सहकारी समितियों को भी विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज सहायता के रूप में उपरोक्त सहायता उपलब्ध है।
- नए तालाबों तथा टैंकों के निर्माण तथा तालाबों/टैंकों के पुनरूद्वार नवीनीकरण के लिए राज सहायता तथा अकेले लाभार्थी को 1 हैक्टेयर से कम तथा 5 हैक्टेर तक के लिए मैदानी क्षेत्रों में संस्थागत वित्त के साथ अथवा उसके बिना प्रथम वर्ष आदान उपलब्ध है और पर्वतीय राज्यों/जिलों में 1.0 हैक्टेयर यथा अनुपात आधार पर उपलब्ध है।

  स्वीकृति के अधिकार जिला पंचायतें उपर्युक्तानुसार बजट उपलब्ध होने की स्थिति में सहायता राशि स्वीकृत कर अनुदान वितरित करेंगी।

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम

eRL; thfo;k dk nq?kZVuk chek %&

1.	योजना का नाम	–	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा (केन्द्र प्रवर्तित योजना)
2.	विभाग का नाम	–	मछलीपालन विभाग
3.	योजना का उद्देश्य	–	ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी–रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को स्व–रोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं मत्स्यपालन हेतु दीर्घ अवधि पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि में तालाब बनाने, हैचरी स्थापित करने, फीड मील स्थापित करने, एरियेटर स्थापित करने एवं एकीकृत मछलीपालन इकाई स्थापित करने पर मत्स्यपालकों को अनुदान उपलब्ध कराना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	1. मछलीपालन से संबंधित कोई भी व्यक्ति हितग्राही हो सकता है। 2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के मछुआरे जो ग्रामीण तालाब हेतु पट्टे पर लेकर

			अभिकरण अंतर्गत मछलीपालन करते है, हितग्राही होंगे।
5.	मिलने वाला लाभ	–	ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी–रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को स्व–रोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं मत्स्यपालन हेतु दीर्घ अवधि पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि में तालाब बनाने, हैचरी स्थापित करने, फीड मील स्थापित करने, एरियेटर स्थापित करने एवं एकीकृत मछलीपालन इकाई स्थापित करने पर मत्स्यपालकों को बैकों के माध्यम से आर्थिक सहायता एवं नियमानुसार अनुदान उपलब्ध करायी जाएगी।
6.	हितग्राही के उपयोगार्थ निर्धारित आवेनदन–पत्र का प्रारूप	–	विकासखड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यक्रम द्वारा आवेदन–पत्र उपलब्ध।
7.	आवेदन–पत्र प्राप्त अथवा जमा करने की प्रक्रिया	–	मछुआरे जिन्हें शासकीय विभागीय या पंचायत के माध्यम से तालाब/जलाशय दीर्घ अवधि के लिएए पठ्टे पर प्रदाय किये गये है। वे मछलीपालन तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
8.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता के पास जमा।
9.	आवेदन प्रकरण के संबंध में किन किन कार्यालय से संपर्क कर सकता है।	–	विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य पालन प्रसार कार्यकर्ता/जिला स्तर पर विभाग के जिला अधिकारी।

पंचायतों के ग्रामीण तालाबों / जलाशयों का चयन एवं उसका महत्व

छत्तीसगढ़ में 53,968 ग्रामीण तालाब जलक्षेत्र रकबा 70,000 हे. एवं 1616 सिंचाई जलाशय जल क्षेत्र रकबा 83,873 कुल 55,584 तालाब जल क्षेत्र 1,54,741 हे. उपलब्ध है, इसमें मत्स्यपालन किया जा रहा है। ये तालाब/जलाशय गांवों में स्थित हैं। इसमें ग्रामीण अपना दैनिक निस्तार के साथ–साथ खेतों में सिंचाई हेतु पानी का उपयोग करते है, जिसमें कृषि उपज का उत्पादन बढ़ता है। उपलब्ध जल में मछली पालन कार्य

करने से ग्राम में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु सीमान्त कृषकों, मछुआरों,

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग सामान्य जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने से उनकी आय में वृद्धि होती है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों में तालाब की लीज राशि जमा होने से उनकी आय में वृद्धि होती हैं, जिससे ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ होता है। भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन की रोजगार योजनाओं के तहत् प्रतिवर्ष नवनिर्मित तालाबों/जलाशयों में वृद्धि हो रही है, जिसमें मत्स्यपालन की योजना से ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि हो रही है।

शासन की जल संवर्धन योजनाओं वाटरशेड के तहत् भूमि संरक्षण, कृषि, जल संसाधन, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार गारंटी योजना, गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा प्रति वर्ष पुराने तालाबो/जलाशयों की जीर्णोद्वार कार्य एवं नये तालाबों/जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें मत्स्य पालन करने से ग्रामीणो को रोजगार के साथ–साथ प्रोटीन युक्त निर्माण आहार प्राप्त होता है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिये बहुत जरुरी है। इससे बच्चों, महिलाओं को कुपोषण से बचाया जा सकता है। ऐसी हालत में प्रत्येक मत्स्य कृषक का यह कर्तव्य होता है कि वे हर प्रकार के जल स्त्रोतों का उचित उपयोग कर मछली की पैदावार को बढ़ाये ताकि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुपोषण एवं बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्याओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सके। नवगठित छत्तीसगढ राज्य को मत्स्य बीज उत्पादन कार्य में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ वर्तमान में भारत में आठवे स्तर पर है, वह आठवे से प्रथम स्थान की ओर अग्रसर हो सके।

xkeh.k rkykc@tyk'k; dk iVVk vkcVu ,o vuc/k &

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत् ग्रामीण एवं सिचांई जलाशय उनके रकबा के आधार पर निम्नानुसार अधिकार क्षेत्र में रखे गये है –

1	10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब / जलाशय	*xke ipk;r*
2	10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब / जलाशय	*tuin ipk;r*
3.	100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र तक के जलाशय	*ftyk ipk;r d v/khu jgxA*
4.	200 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय	*df'k eNyhikyu foHkkx d vrxr j[k x; gA*

ukV & एक हजार से पॉच हजार हैक्टर तक के जलाशय में मत्स्य महासंघ द्वारा रायल्टी आधार पर मत्स्य पालन अंतर्गत है।

iVVk vkcVu e\ ikFkfedrk Øe &

- पंजीकृत मछुवारा सहकारी समिति
- मछुआ समूह
- मछुआ व्यक्ति
- ऐसे क्षेत्र जहॉ 1965 या उनके पश्चात् मकान, भूमि यदि डूब में आये विस्थापित परिवार स्व–सहायता समूह

''महुआ'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपनी आजीविका का अर्जन मछली पालन मछली पकडने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य से करता है।

iVVk dk vkcVu dh lkekU; i\fØ;k &

संबंधित क्षेत्र की पंचायत मुनादी/इश्तहार जारी कर 15 दिवस के अंदर आवेदन पत्र आमंत्रित करती है एवं पंचायत की बैठक आहुत कर पात्र हितग्राही को पटटा आबंटन बाबत प्रस्ताव पारित कर समस्त औपचारिकताएॅ पूर्ण कर जिले के मत्स्य अधिकारी के पास प्रकरण भेजेगी। हितग्राहियों के चयन, पटटा राशि के निर्धारण का सहायक संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अथवा इसके प्रतिनिधि द्वारा परीक्षण कराया जावेगा। तत्पश्चात् संबंधित पंचायत मत्स्य पालन हेतु पटटा आदेश जारी करेगें एवं अनुबंध निष्पादित कर नियमानुसार पंजीयन करायेगें।

मत्स्योंद्योग की योजनाएॅ

मत्स्योंद्योग ग्रामीण विकास का अभिन्न अंग है, मत्स्योद्योग में अपेक्षाकृत कम समय एवं कम खर्च से पर्याप्त आमदानी होती है। छत्तीसगढ़ में निम्न योजनाएॅ संचालित है :–

1- *i\thdr eN\vk lgdkjh lfefr;k dk _.k ,o vu\nku %&*

समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये ऋण/अनुदान मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ मछुआ सहकारी समितियॉ ऋण/अनुदान नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है। नियम के प्रावधानों के अनुसार समितियों को अनुदान दिया जाता है।

vu\lfpr tkfr@tutkfr lfefr;k dk lgk;rk %&

उपयोजना क्षेत्र/अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रान्तर्गत इस वर्ग की समितियों को तीन वर्ष में रुपये 25 हजार का अनुदान दिया जाता है। अनुदान वर्षवार निर्धारित प्रतिशत की सीमा में देय हैं।

2- eRL; thfo;k dk n?kVuk chek %&

मछली पालन का कार्य करने वाले समिति/समूह/व्यक्तिगत मत्स्यजीवी जो 18 से 65 आयु वर्ग के हो, का दुर्धटना बीमा शासकीय व्यय पर कराया जाता है। दुर्धटना मे मृत्यु या स्थायी अपंगता पर रुपये 50 हजार एवं अस्थायी अपंगता पर 25 हजार की सहायता दी जाती है।

3- eRL; d"kdk dk if'k{k.k &

v- foHkkxh; if'k{k.k & यह 15 दिवसीय होता है प्रशिक्षण के दौरान रु. 750 प्रशिक्षण भत्ता, जाल बुनने के लिये रु. 400 नायॅलान धागा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण स्थल तक आने जाने का किराया एक बार भी प्रदाय किया जाता है।

c- vfHkdj.k }kjk if'k{k.k & यह प्रशिक्षण 15 दिवसीय है, जिनमें प्रशिक्षणार्थियों को रुपये 100 प्रति दिवस शिष्यवृत्ति एवं निवास से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का एक बार क साथ भ्रमण के लिये रुपये एक सौ अनुदान दिया जाता है।

l- in'k d ckgj v/;;u Hke.k & अन्य राज्यों में अपनायी जा रही मछली पालन की नवीनतम तकनीकी के अध्ययन हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राज्य से बाहर अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाना है उन्हें परिवहन व्यय रु. 75 दैनिक भत्ता दिया जाता है।

4- ufn;k e eRL; cht lp;u %& प्रदेश के जगदलपुर जिले मे बहने वाली इन्द्रवती नदी में मत्स्य भंडार वृद्धि के लिये मत्स्य बीज संचयन किया जाता है।

5- eRL; d"kd fodkl vfHkdj.k & मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में भी अभिकरण योजना क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत मत्स्य कृषकों को संस्थागत वित्त पोषण के साथ तालाब पटटे पर उपलब्ध कराना एवं मछली पालन वैज्ञानिक पद्वति से करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता हैं

6- ikyhdYpj d #i e >hxkikyu & अनुसूचित जाति, जनजाति मछुओं को मछली के साथ–साथ झींगापालन हेतु तीन वर्ष में रुपये 15,000 का अनुदान निर्धारित सीमा में दिया जाता है।

7- eNokjk vkokl ;ktuk & जलाशयों पर मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को भूलभूत सुविधायें यथा–आवास, पेयजल, सामुदायिक भवन आदि उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से जलाशय के समीप के समीप ही आवास बनाकर मछुवारों को बसाया गया है।

8- cpr lg jkgr ;ktuk %& बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध पर कारण रोजगार से वंचित मछुओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 9 माह में मछुवारा द्वारा रुपये 50 मासिक अंशदान के रुप में 450 रुपये तथा शासन द्वारा अंशदान के रुप में 450 कुल 900 रुपये हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किये जाते है। जिन्हें बंद हेतु ऋतु के 3 माह में 300 रुपये मासिक आर्थिक सहायता हितग्राहियों को प्रदाय की जाती है।

9- ek|leh ik[kj e| eRL; cht mRiknu %& अनुसूचित जाति के मछुवारों को स्वयं के या पटटे पर लिये गये मौसमी पोखर में मत्स्य बीज संवर्धन के लिये रुपये 30 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है।

10- uko&tky forj.k %& अनुसूचित जाति के मछुवारों को मत्स्याखेट के लिये नाव–जल हेतु रुपये 10 हजार प्रति मछुआरा आर्थिक सहायता दी जाती है।

lLFkkxr foRr iks"k.k fuEukuqlkj inku fd;k tkrk g %&

- स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण/पानी के आवक/जावक द्वार पर जाली लगाने एव उथले टयूबवेल की व्यवस्था के लिये रुपये दो लाख प्रति हेक्टर ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों को रुपये 50 हजार एवं अन्य वर्गो के लिये रु. 40 हजार अनुदान दिया जाता है।
- तलाबों/पोखरों के जीर्णोद्वार के लिये रुपये 60 हजार प्रति हेक्टर की दर से बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सामान्य जाति को रुपये 12 हजार या 20 प्रतिश एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15 हजार प्रति हेक्टर की दर से अनुदान दिया जाता है।
- प्रथम वर्ष के लिये रुपये 30 हजार की दर से बैक ऋण का प्रावधान है। इसमें सामान्य श्रेणी के कृषकों को रुपये 6 हजार 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों के लिये 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 7 हजार पॉच सौ मात्र प्रति हेक्टर तक अनुदान दिया जाता है।
- एकीकृत मत्स्य पालन में मछली के साथ–साथ बतख पालन, मुर्गी पालन, शुकर पालन, डेयरी पालन, बागवानी आदि इकाई के लिये रु. 80 हजार प्रति हेक्टर की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इकाई स्थापना पर सामान्य श्रेणी के कृषकों को 20 प्रतिशत अधिकतम रु 15 हजार एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा रुपये 20 हजार तक अनुदान दिया जाता है।
- मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना :– एक करोड़ फ्राई क्षमता की हैचरी स्थापना के लिये रुपये 12 लाख बैक ऋण की प्रावधान है। हैचरी स्थापना पर समस्त श्रेणी के मत्स्यबीज उत्पादकों को 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये एक लाख बीस हजार तक अनुदान देय है।

भवन, उपकरण आदि के साथ हैचरी स्थापना पर रुपये 25 लाख तक बैक ऋण दिया जाता है। इस पर रुपये 5 लाख की अधिकतम मे 20 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है।

पशुपालन

गौ सेवक प्रशिक्षण

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	पशुपालन विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवकों को पशुपालन विषय पर प्रशिक्षित करना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	ग्राम पंचायत के बी.पी.एल. लघु/सीमांत कृषक युवक जो 12 वी उत्तीर्ण तथा आयु 18–35 वर्ष के बीच हो।

dDdV ikyu ;ktuk

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	पशुपालन विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	प्रदेश में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राही
5.	मिलने वाले लाभ	–	औसत 5000/– वार्षिक
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	निकटस्थ पशु चिकित्सालय के माध्यम से संबंधित जिलों के विभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक को आवेदन प्रस्तुत करना।
7.	चयन प्रक्रिया	–	स्थानीय विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जिला पंचायत के अनुमोदन से
8.	आवेदन भेजने का पता	–	संबंधित जिले के संयुक्त/उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें।

संकर बछिया / वत्स पालन

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	पशुपालन विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	संकर बछिया/वत्स का विकास करना
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सामान्य श्रेणी के खेतीहर मजदूर लघु एवं सीमांत कृषक
5.	मिलने वाले लाभ	–	योजनांतर्गत संकर जर्सी/होलिस्टिन/बछिया वत्स के भरण पोषण हेतु 4 माह से 32 माह आयु को अनुमानित पशु आहार दिया जाना है।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	जनपद स्तर पर पदस्थ पशुपालन विभाग के अधिकारी

उन्नत बकरे प्रदाय की योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	पशुपालन विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	देशी नस्ल की बकरियों में सुधार लाना। मांस तथा दुग्ध उत्पादन में बढोत्तरी।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	अनुसूचित जाति/जनजाति के बकरी पालक हितग्राही मूलक
5.	मिलने वाले लाभ	–	औसतन रु. 5000/– वार्षिक
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	निकटस्थ पशु चिकित्सालय के माध्यम से संबंधित जिलो के विभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक को आवेदन प्रस्तुत करना।
7	चयन प्रक्रिया	–	स्थानीय विभागीय अधिकारी /कर्मचारी के द्वारा जिला पंचायत के अनुमोदन से
8.	आवेदन भेजने का पता	–	संबंधित जिले के संयुक्त/ उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें।

अनुदान पर सांड वितरण

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	पशुपालन विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	1. कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदेश में मात्र 4 लाख पशुओं के लिये ही उपलब्ध है। अतः सुदूर अंचलों में नस्त सुधार हेतु उत्तम नस्त के सांडों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान उपलब्ध कराना। 2. गौ सेवकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान पर सांड उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के पशुपालक
5.	मिलने वाले लाभ	–	औसतन रु. 5000/– वार्षिक
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	निकटस्थ पशु चिकित्सालय के माध्यम से संबंधित जिलो के विभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक को आवेदन प्रस्तुत करना।

7	चयन प्रक्रिया	–	स्थानीय विभागीय अधिकारी /कर्मचारी के द्वारा जिला पंचायत के अनुमोदन से

नर सूकर के वितरण की योजना

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	पशुपालन विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	देशी / स्थानीय नस्ल की सूकरों का नस्ल सुधार/मांस उत्पादन में वृद्वि हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	अनुसूचित जाति के सूकर पालक
5.	मिलने वाले लाभ	–	औसतन रु. 5000/– वार्षिक
6.	आवेदन की प्रक्रिया	–	निकटस्थ पशु चिकित्सालय के माध्यम से संबंधित जिलो के विभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक को आवेदन प्रस्तुत करना।
7	चयन प्रक्रिया	–	स्थानीय विभागीय अधिकारी /कर्मचारी के द्वारा जिला पंचायत के अनुमोदन से ।

चारा वृक्षारोपण हेतु अनुदान

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	पशुपालन विभाग
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
3.	योजना का उद्देश्य	–	हरे चारे की कमी की प्रतिपूर्ति / पशुचारे की निंरतर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4.	हितग्राही की पात्रता	–	सभी वर्ग के हितग्राही
5.	मिलने वाले लाभ	–	औसतन रु. 5000/– वार्षिक
6	चयन प्रक्रिया	–	स्थानीय विभागीय अधिकारी /कर्मचारी के द्वारा जिला पंचायत के अनुमोदन से ।

बकरी, सूकर एवं कुक्कुट प्रोत्साहन हेतु विभागीय योजनायें

1. योजना का नाम - अनुदान पर सूकरत्रयी का वितरण आदिवासी उपयोजना

मांग संख्या : 41-2403-9332

Øekd	;kstuk	fooj.k
1	उद्देश्य	• देशी नस्ल की सूकरों का नस्ल सुधार। • मांस उत्पादन में वृद्धि। • हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
2	योजना का स्वरूप, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली	योजना में अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को उन्नत नस्ल (मिडिल व्हाईट यार्क शायर) का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर, 90ः अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। योजना अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
3	हितग्राही	अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक एवं/अथवा ग्राम पंचायत द्वारा चयनित हितग्राही।
4	इकाई लागत	इकाई संख्या रू. 7900/- नर सूकर - रू. 3050/- दो मादा सूकर - रू. 4250/- परिवहन - रू. 600/-. योग - रू. 7900/- (अनुदान राशि रू. 7110/- + हितग्राही अंशदान रू. 790/-)
5	अनुदान	योजना 90ः अनुदान पर क्रियान्वित है।
6	योजना की उपयोगिता	आदिवासी क्षेत्र के सूकर पालकों को उन्नत नस्ल के सूकर पालन से अधिक मांस उत्पादन वाले सूकरों के विक्रय से आर्थिक लाभ होगा।
7	हितग्राही कहां संपर्क करें	निकटतम पशु चिकित्सा संस्था/जिला कार्यालय पशु चिकित्सा सेवायें।

2- ;kstuk dk uke %& vuqnku ij uj cdjk forj.kA

vkfnoklh mi;kstuk% ekax l[;k% 41&2403&9333

fo'k"k ?kVd ;kstuk% ekax l[;k% 64&2403&4017

Øekad	;kstuk	fooj.k
1	उद्‌देश्य	• देशी नस्ल की बकरियों में सुधार लाना। • मांस तथा दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी। • हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
2	योजना का स्वरूप, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली	योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को उन्नत नस्ल का ग्रेडेड जमनापारी नर बकरा (प्रजनन योग्य) 90: अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
3	हितग्राही	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के चयनित बकरी पालक हितग्राही।
4	इकाई लागत इकाई संख्या	रू. 3000/–. (अनुदान राशि रू. 2700/– + हितग्राही अंशदान रू. 300/–.) एक उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य ग्रेडेड जमनापारी नर बकरा।
5	अनुदान	इकाई लागत रू. 3000/– में से 90: अनुदान राशि रू. 2700/–
6	योजना की उपयोगिता	क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में बकरी पालकों की कम लागत में अधिक दूध/मांस उत्पादन के रूप में आर्थिक लाभ पहुंचाना तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम।
7	हितग्राही कहां संपर्क करें	निकटतम पशु चिकित्सा संस्था/जिला कार्यालय पशु चिकित्सा सेवायें।

3- ;kstuk dk uke %& vuqnku ij uj lqdj dk forj.kA
fo'ks"k ?kVd ;kstuk % ekax la[;k % 64&2403&4016

Øekad	;kstuk	fooj.k
1	उद्देश्य	• देशी/स्थानीय नस्ल की सूकरों का नस्ल सुधार। • मांस उत्पादन में वृद्धि। • हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
2	योजना का स्वरूप, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली	योजना में अनुसूचित जातियों के हितग्राहियों को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर 90% अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। योजना अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
3	हितग्राही	अनुसूचित जाति के चयनित सूकर पालक।
4	इकाई लागत इकाई संख्या	रू. 5100/- नर सूकर - रू. 3050/- आहार - रू. 2050/- योग - रू. 5100/- (अनुदान राशि रू. 4590/-+ हितग्राही अंशदान रू. 510/-.)
5	अनुदान	इकाई लागत रू. 5100/- में से 90% अनुदान राशि रू. 4590/-
6	योजना की उपयोगिता	अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के सूकर से देशी नस्ल की अपेक्षाकृत अधिक मांस उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु। जिससे हितग्राहियों को आर्थिक लाभ होगा।
7	हितग्राही कहां संपर्क करें	निकटतम पशु चिकित्सा संस्था/जिला कार्यालय पशु चिकित्सा सेवायें।

4- ;kstuk dk uke %& vuqnku ij cSd;kMZ dqDdqV bZdkbZ forj.k

vkfnokLkh mi;kstuk% eqx lq[;k% 41 2403&846

fo'ks"k ?kVd ;kstuk% eqx lq[;k% 64&2403&844

Øekd	;kstuk	fooj.k
1	उद्देश्य	प्रदेश में आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से।
2	योजना का स्वरूप, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली, आहार एवं परिवहन।	15 दिवसीय 55 रंगीन उन्नत नस्ल के चूजे/बत्तख चूजे 15 दिवसीय 180 बटेर के साथ कुक्कुट
3	हितग्राही	अनुसूचित जनजाति के हितग्राही।
4	इकाई लागत	चूजा/बत्तख इकाई 55 चूजों की कीमत–रू0 935/– खाद्यान्न– रू0 200/– परिवहन– रू0 65/– योग– 1200/– बटेर इकाई 180 बटेर चूजे की कीमत–रू. 900/– खाद्यान्न–रू.200/– पेकिंग/परिवहन–रू. 100/– योगः– 1200/–
5	अनुदान	शासकीय अनुदान 75 प्रतिशत रू0 900/– अनुदान राशि एवं 25 प्रतिशत रू0 300/– हितग्राही का अंशदान।
6	योजना की उपयोगिता	प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु तथा उनकी आय में अतिरिक्त स्त्रोत उपलब्ध कराने हेतु गतवर्षो के परिणामों को देखते हुए योजना को निरंतर जारी रखना अनिवार्य।
7	हितग्राही कहां संपर्क करें	निकटतम पशु चिकित्सा संस्था/जिला कार्यालय पशु चिकित्सा सेवायें

5- ;kstuk dk uke %& mUur uLy] oRl ikyu ;kstuk
¼fo'k"k i'kqikyu dk;Øe½
lkekU; ;kstuk % ekx l[;k 14&2403
f=Lrjh; iapk;rh jkt ;kstuk %ekx l[;k 80&2403

Øekd	;kstuk	fooj.k
1	उद्देश्य	●गौवंशी पशु का नस्ल सुधार एवं कुपोषण से बचाव। ●पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। ● बछिया के उचित संगोपन हेतु संतुलित आहार उपलब्ध कराकर गरीब हिग्राहियों में उन्नत वत्सपालन को अभिरूचित पैदा करना एवं वत्स मृत्यु दर में कमी लाना। ● अनुसूचित जाति व जनजाति के हितग्राहियों में उन्नत पशुपालन में रूचित पैदा करना।
2	योजना	● इस योजना में ऐसे लघु कृषिक/सीमान्त कृषक तथा खेतीहर मजदूरों का चयन किया जाना है जिनके पास स्वयं का उन्नत बछिया उपलब्ध हो। ● बछिया के भरण पोषण हेतु 4 से 24 माह की आयु तक 1300 क्विंटल पशु अहार प्रदाय किया जाना है।
3	हितग्राही	अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के लिये हिग्राहियों के लिये।
4	योजना इकाई	अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के हितग्राही के पास उपलब्ध उन्नत नस्ल का बछिया हो।
5	इकाई लागत	1. पशु आहार 13.00 क्विंटल संचालक/मार्कफेड द्वारा अनुमोदित प्रति क्विंटल की दर से वर्ष 2008–09 हेतु रू. 770 प्रति क्विंटल की दर से रू. 10,000/– तथा औषधि/टीकाकरण –रू. 500/– योगः– 10,500/– कार्य संस्था प्रभारी के द्वारा।
6	अनुदान	सामान्य वर्ग अधिकतम –रू. 5000/– अनुसूचित जाति/जनजाति –रू. 7500/–
7	हितग्राही कहां संपर्क करें।	निकटस्थ पशु चिकित्सा सस्था/विकास खंड कार्यालय/जिला पशु चिकित्सा कार्यालय।

6- ;ktuk dk uke %& 'kr ifr'kr vuqnku ij lkM forj.k
vkfnoklh mi;ktuk % ekx l[;k % 41&2403&5260
fo'k"k ?kVd ;ktuk % ekx l[;k % 64&2403&5260

Øekd	;ktuk	fooj.k
1	उद्देश्य	1. देशी/स्थानीय नस्ल की गौवंशीय पशुधन में नस्ल सुधार। 2. हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
2	योजना	योजना में चयनित प्रत्येक गाम पंचायतों को नस्ल सुधार हेतु दो से चार दांत के उन्नत नस्ल का एक सांड शतप्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये क्रियान्वित की जा रही है।
3	हितग्राही	1. चयनित ग्राम पंचायत के हितग्राही को। 2. प्रशिक्षित गौ सेवकों को प्राथमिकता दी जाती है।
4	योजना इकाई	रू. 15000/–. सांड – रू. 12500/– (परिवहन व्यय सहित) आहार – रू. 500/– उपचार एवं टीकाकरण – रू. 200/– बीमा एवं अन्य व्यय – 1800/– (शत प्रतिशत अनुदान राशि रू. 15000/–)
5	इकाई लागत	राज्य शासन का अंश
6	अनुदान	इकाई लागत का शतप्रतिशत अनुदान।
7	हितग्राही कहां संपर्क करें।	निकटतम पशु चिकित्सा संस्था/जिला कार्यालय पशु चिकित्सा सेवायें।

efgyk ,oa cky fodkl

efgyk ,o cky fodkl

ifjp; %&

महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया हैं।

foHkkx d nkf;Ro%&

- प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्विक विकास तथा स्वास्थ्य वे पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम एवं जागरूक बनाना।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन से समन्वयक की भूमिका निभाना।
- महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय।

foHkkx vrxr lpkfyr ie[k ;ktuk;@dk;Øe@lLFkk; lefdr cky fodkl ;ktuk &

शासन द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित कर इन केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को छः सेवायें दी जाती है तथा पूरक अनौपचारिक शिक्षा तथा परामर्श सेवाऍं। राज्य में इस योजना के अंतर्गत 158 बाल विकास परियोजनायें तथा इनके तहत कुल 29437 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

ik"k.k vkgkj dk;Øe %&

वर्तमान में 146 बाल विकास परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत दलिया तथा 6 शहरी बाल परियोजनाओं में रेडी टू ईट पोषण आहार के रूप में ब्रेड उपलब्ध कराया जा रहा है।

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन (मिनीमाता पोषण आहार योजना) के अंतर्गत सरगुजा जिले में 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को प्रति माह 10 किलो अनाज निःशुल्क प्रदाय किया जाता है। आयरन की कमी से होने वाली रोगों से बचाव हेतु 146 परियोजनाओं में प्रतिमाह प्रति हितग्राही 500 ग्राम के मान से लौह युक्त नमक टेक होम राशन पद्वति से प्रदाय किया जा रहा हैं।

e[;e=h dU;knku lkefgd fookg ;ktuk %&

प्रदेश में निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना लागू की गई हैं।

योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे– जीवन यापन करने वाले परिवार को 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने पर 4000,00 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है, तथा सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन के लिए प्रति कन्या राशि रूपये 1000,00 तक व्यय का प्रावधान है।

vk;"efr ;ktuk%&

ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बीमार महिलाओं के ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, खण्ड स्तरीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400,00 रूपये तक तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000,00 रूपयें तक की चिकित्सा सुविधा के तहत ईलाज, दवा, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है।

nRrd i=h f'k{kk ;ktuk %&

गरीब बालिकाओं को सक्षम व्यक्यिों, समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उन्हे शालाओं में प्रवेश दिलाकर उनकी शिक्षा निरन्तर रखने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत् प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 300,00 प्रतिवर्ष की सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो कि नगद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में हो सकती है।

efgyk tkxfr f'kfoj%&

ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनको कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्व महिलाओं को जागृत व संगठित करना है।

fd'kksjh 'kfDr ;ktuk %&

यह योजना 11–18 वर्ष की बालिकाओं के लिये हैं। इसके अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से संलग्न कर मातृत्व के लिये तैयार करने हेतु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण, पूरक पोषण आहार, रक्ताल्पता होने पर आयरन फोलिक एसिड, टीकाकरण (टी.टी.) स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

Lo;a fl}k ¼,dhd`r efgyk l'kfDrdj.k dk;Øe½ %&

महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना भारत शासन की स्वीकृत से प्रदेश के चयनित 17 विकासखंडों में लागू की गयी है। योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखं में 100 महिला स्व–सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। समूह को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियॉ आयोजित की जा रही है।

jkT; ohjrk iqjLdkj %&

प्रदेश के बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, साहस एवं बुद्धिमान के लिए पुरस्कृत करने हेतु राज्य वीरता पुरस्कार नियम 2004 लागू किये गये हैं, जिसके अंतर्गत प्रति बालक/बालिका को एकमुश्त 10 हजार रूपये की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

jk"Vªh; 'kkS;Z iqjLdkj@jkT; ohjrk iqjLdkj ls lEekfur ckyd@ckfydk gsrq Nk=ofRr&

राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार/राज्य वीरता पुरस्कार वर्ष 2004 में बनाये गये। सम्मानित बालक/बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार प्राप्त बालक/बालिका को स्कूल शिक्षा के दौरान 200,00 प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा के दौरान रूपये 500,00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

उपरोक्त दोनों योजनायें राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

NRrhlx<+ Vksugh izrkM+uk fuokj.k vf/kfu;e 2005

महिलाओं को टोन ही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़ित किये जाने की घटनाओं को रोकने एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ टोन ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है।

N-x- ngst izfr"k/k fu;e 2004

छहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) की धारा 10 द्वारा प्रदन्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम–2004 लागू किये गये हैं। 18 जिलों में दहेज प्रतिषेध अधिकारी एवं राज्य स्तर पर मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किये गये।

lalk/ku rFkk izf'k{k.k dsUnzk dh LFkkiuk %&

रायपुर में राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र तथा बिलासपुर एवं जगदलपुर में क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वयं का भवन बनाए

जाने गृह निर्माण मंडल के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

v'kkldh; lLFkkvk dk vunku %&

विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए बालबाड़ी, झूलाधर, अनाथालय, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन आदि।

foHkkxh; lLFkk,a %&

प्रदेश में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण से संबंधित निम्नलिखित संस्थायें संचालित हैं–

1. 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराक्षित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा एवं समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुर्नवास के लिए प्रदेश में रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में नारी निकेतन।
2. कुष्ठ रोगियों के 18 वर्ष आयु तक के स्वस्थ बच्चों को उनके माता–पिता से अलग रखकर उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रमशः कवर्धा, जगदलपुर तथा दुर्ग में बालकों के लिए एवं बिलासपुर तथा रायपुर में बालिकाओं के लिए बाल संरक्षण गृह।
3. निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए क्रमशः बिलासपुर एवं रायपुर में शासकीय झूलाघर।
4. 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए क्रमशः रायपुर एवं बिलासपुर में बालबाड़ी सह संस्कार केन्द्र।
5. अनाथ बच्चों व निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में गठित करके पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु बिलासपुर तथा राजनांदगांव, जगदलपुर, दुर्ग में मातृ कुटीर।

NRrhlx<+ efgyk dks"k dh _.k ;kstuk %&

छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्य हेतु महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत किया गया है। महिला कोष द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2003 से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों की बचत राशि का 4 से 10 गुना अथवा अधिकतम 20,000 रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के महत स्वैच्छिक संगठन का 5.5 प्रतिशत एवं स्वयं सहायता समूहों को 6.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।

efgyk Lo lgk;rk legk dk xBu %&

महिला सशक्तिकरण मिशन के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं को संगठित करने, उन्हें समूह में छोटी–छोटी बचत करने एवं अपनी छोटी–मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेनदेन करने के लिए सक्षम बनाने में तथा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्व–सहायता समूहों का गठन सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

lid %&

ftyk dk;Øe vf/kdkjh@ftyk efgyk ,o cky fodkl vf/kdkjh] inu ftyk ic/kd] cky fodkl ifj;ktuk vf/kdkjh] i;o{kd] vkxuckMh dk;drkA

NRrhlx< jkT; efgyk vk;kx

,p-vkb-th-&10] dfork uxj] ryhck/kk] jYo Økflx d vkx] vueky IyV d ikl]jk;ij N-x- Qku & 0771&4013189] 4023996 QDl

———0———

स्वास्थ्य

संजीवनी जीवन रेखा कोष

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	जिला प्रशासन।
2.	कार्यक्षेत्र	–	जिला ।
3.	योजना का उद्देश्य	–	गंभीर बीमारी के मरीज को चिकित्सा सहायता देना।
4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	छत्तीसगढ़ का मूल निवासी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	25 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता व्यक्ति को न दी जाकर इलाज के लिये संबंधित संस्थान को दी जाती है।
6.	संपर्क	–	कलेक्टर कार्यालय, सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र उपलब्ध ।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	स्वास्थ्य विभाग ।
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3.	योजना का उद्देश्य	–	मलेरिया से बचाव, ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार से पीडित व्यक्तियों की रक्त पटटी बनाकर उन्हें प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना और रक्त पटटी के परीक्षण के बाद मलेरिया का इलाज कराना।
4.	हितग्राही की पात्रताएँ	–	सभी पीडित व्यक्ति ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	दवाईयॉ ।
6.	संपर्क	–	निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र ।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियत्रंण कार्यक्रम

1. क्रियान्वयन एजेन्सी – स्वास्थ्य विभाग।
2. कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3. योजना का उद्देश्य – संभावित नये क्षय रोगियों के खखार की जॉच, खखार की जॉच में पाये गये धनात्मक रोगियों का इलाज।
4. हितग्राही की पात्रताऍ – सभी पीडित व्यक्ति ।
5. मिलने वाले लाभ – दवाईयॉ।
6. संपर्क – निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र ।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

1. क्रियान्वयन एजेन्सी – स्वास्थ्य विभाग ।
2. कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3. योजना का उद्देश्य – समाज में छिपे सभी कुष्ठ रोगियों को खोजकर उन्हें बहुऔषधि उपचार नियमित और पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण करना ताकि कुष्ठ रोग का प्रसार रुक जाये और रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति या उससे कम प्रति 10,000 जनसंख्या में हो जाये।
4. हितग्राही की पात्रताऍ – सभी पीडित व्यक्ति ।
5. मिलने वाले लाभ – दवाईयॉ ।
6. संपर्क – निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

1. क्रियान्वयन एजेन्सी – स्वास्थ्य विभाग ।
2. कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3. योजना का उद्देश्य – मोतिया बिन्द और अन्य प्रकार की दृष्टिहीनता पर नियंत्रण लाना। दृष्टिहीनता की दर 2.1 प्रतिशत से कम कर 0.3 प्रतिशत तक लाना।

4.	हितग्राही की पात्रताएॅ	–	सभी पीडित व्यक्ति ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	हितग्राही का ऑपरेशन और दवाईयॉ। स्वयंसेवी संस्थाओं को मोतिया बिन्द ऑपरेरशन के लिये शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है।
6.	संपर्क	–	निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र ।

सिकलसेल विकृति हेतु नियंत्रण कार्यक्रम

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	जिला चिकित्सालय ।
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3.	योजना का उद्देश्य	–	सिकलसेल विकृति की रोकथाम और नियंत्रण।
4.	हितग्राही की पात्रताएॅ	–	सभी पीडित व्यक्ति ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	सिकलसेल परीक्षण किया जाएगा।
6.	संपर्क	–	निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र ।

मितानिन कार्यक्रम

1.	क्रियान्वयन एजेन्सी	–	स्वास्थ्य विभाग ।
2.	कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।
3.	योजना का उद्देश्य	–	स्वास्थ्य सेवाओं एवं उससे जुड़े अधिकारों पर लोगों की चेतना बढ़ाना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।
4.	हितग्राही की पात्रताएॅ	–	गांव का प्रत्येक व्यक्ति ।
5.	मिलने वाले लाभ	–	स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है।
6.	संपर्क	–	निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
National Rural Health Mission (NRHM)

mnn' ; &

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुये इस मिशन का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्र की आबादी जिसमें महिलाओं एवं बच्चों को सामूहिक रुप से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं/योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम में कुशल सेवा जबावदेही एवं सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम एवं कश्मीर सहित आदि राज्यों को शामिल किया गया है।
- इस कार्यक्रम के अतंर्गत महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शिशु एम.आर. नवजात एम.आर एवं मात्र एम.आर आदि को प्राप्त करने के साथ–साथ ग्राम पंचायतों के स्तर पर ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति एवं एस.एच.जी. के सदस्यों के साथ मिलजुल कर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करना है।
- ग्राम पंचायतों के साथ ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति एवं एस.एच.जी. के सदस्यों के साथ मिलजुल कर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करना है।

ykHk & ग्राम पंचायत के परिवार ।

fØ;kUo;u ,tUlh & ग्राम पंचायत।

lid & ब्लाक स्वास्थ्य अधिकारी, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास/सी.ई.ओ., जनपद पंचायत ।

स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त तकनीकी ईकाई : राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र (SHRC)

mnn' ; & राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्वास्थ्य विभाग की एक अतिरिक्त तकनीकी ईकाई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत देश के अन्य प्रदेशों मे भी ऐसी ईकाईयां प्रारंभ की जा रही है। कुछ प्रदशों में इसके स्थापन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी हैं। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, एक स्वतंत्र ईकाई है जो शासन तथा स्वास्थ्य संचालनालय को समय–समय पर तकनीकी सलाह प्रदान करती है। मितानिन जैसे प्रेरणात्मक कार्यक्रमो का क्रियान्वयन एवं स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यात्मक अनुसंधान करती है।

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र का विभिन्न क्षेत्रो में योगदान इस प्रकार हैः–

- मितानिन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न चरणों का प्रशिक्षण, मानिटरिंग, प्रशिक्षण माडयूल का निर्माण आदि कार्यों के सफल क्रियान्यवयन में मदद। साथ ही मितानिन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए व्यवहार परिवर्तन किट का डिजाइन तैयार करना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रम के क्रियान्वयन गतिविधियों में सहयोग। जननी सुरक्षा योजना की मानिटरींग व फीडबैक में।
- जिला स्वास्थ्य योजना के निर्माण हेतु प्रशिक्षण तथा जिलों से प्रस्तुत योजना प्रस्ताव की तकनीकी समीक्षा का संपादन।
- यूरोपियन यूनियन राज्य साझेदारी कार्यक्रम की रुपरेखा निर्माण मे तकनीकी सहयोग एवं प्रदत्त कार्यों का क्रियान्वयन।
- स्वास्थ्य बीमा योजना का तकनीकी प्रारुप तैयार कर राज्य में इसके क्रियान्वयन हेतु तकनिकी सहयोग।
- जीवनदीप अस्पताल सुधार योजना के परिकल्पना में केन्द्रीय भूमिका एवं उसके क्रियान्वयन हेतु तकनिकी सहयोग।
- स्वस्थ्य पंचायत योजना के लिए स्वास्थ्य एवं मानव विकास सूचकांक के निर्माण, पारा आधारित पंचायतों की स्वास्थ्य स्थिति निर्धारण हेतु विभिन्न गतिविधियों का समन्वय एवं स्वस्थ पंचायत कम्प्यूटर साटवेयर के उपयोग से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य पंचायत योजना का क्रियान्वयन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के दिशानिर्देशों का निर्माण, प्रशिक्षण माडयूल का निर्माण, ग्राम स्वास्थ्य नियोजन अभियान का क्रियान्वयन, समितियों का सुदृढ़ीकरण आदि में।
- राज्य स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रारुप निर्माण में पापुलेशन फाउन्डेशन ऑफ इन्डिया के साथ समन्वय की भूमिका।
- नर्सिग होम एक्ट का प्रारूप बनाने में।
- मेडिकल यूर्निवसिटी एक्ट के प्रारूप में।
- थ्त्न निगरानी में मदद एवं आवश्यक सुझाव।
- जन स्वास्थ्य संसाधन नेटवर्क अंतर्गत चिकित्सकों व अन्य स्त्रोत व्यक्तियों का प्रषिक्षण।
- ग्रामीण चिकित्सक सहायक कार्यक्रम की अभिकल्पना एवं उसका क्रियान्वयन में।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर बच्चो/मातृ मृत्यु के कारण व उपाय इत्यादि।

- आयुष सेल का गठन एवं इसकी तकनीकी सहयोग ।
- छत्तीसगढ़ में दवा खरीदी प्रक्रिया एवं इसकी रख–रखाव नीति में तकनीकी सलाह देते हुए इसकी सेटअप तैयार करना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग।
- 1000 ग्रामीण चिकित्सा सहायको का प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग।
- ''गृह आधारित शिशु की देखभाल'' पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग।

Hkfo"; dh ;kstuk%&

1. नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पित नर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निर्माण।
2. स्वस्थ पंचायत अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं मानव विकास सूचकांकों पर आधारित व्यवहारिक पंचायत योजना निर्माण हेतु ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाना।
3. मितानिन कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का व्यवहार परिवर्तन संचार किट पर प्रशिक्षण।
4. प्रबंधकीय सूचना तंत्र (HMIS) के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयोगात्मक पहल।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आर. सी. एच. II तथा यूरोपियन यूनियन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न नवाचारी योजनाओं के संचालन में तकनीकी सहयोग।
6. शहरी बस्ती स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग।
7. मलेरिया पर राज्य के संदर्भ में उसके दवा प्रतिरोधी तथ्यों पर आपरेशनल रिसर्च करना।

सहभागिता की मिसाल – मितानिन कार्यक्रम

Hkfedk%& आम समुदाय के बीच स्वास्थ्य के प्रति चेतना बढ़ाने एवं शासकीय स्वास्थ्य सेवा को समुदाय के द्वारा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विगत 6 वर्षों से मितानिन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

मितानिन कार्यक्रम समूचे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा (सामुदायिक कार्यकर्ता) योजना के लिए मॉडल के रूप में उभर कर आया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि मितानिनें समुदाय द्वारा चुनी गई है। मितानिने स्वास्थ्य तथा समुदाय से जुड़े हुए कार्यों में मदद करती है और इन सभी कार्यों के लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता, इन महिलाओं द्वारा निःस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है।

dk;lde dh ljpuk%& मितानिन कार्यक्रम राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिला स्तर पर कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य / आर.सी.एच. समिति द्वारा किया जा रहा है। चूंकि कार्यक्रम की प्रबंधन इकाई विकासखंड है इसलिए प्रत्येक विकासखंड में 3 जिला स्त्रोत सह खंड समन्वयक तथा 20 स्वयं सेवी महिला प्रशिक्षकों का दल विशेष रूप से गठित है। कार्यक्रम के अनुश्रवण तथा तकनीकी सहयोग के लिए प्रत्येक जिले में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र की ओर से क्षेत्रीय समन्वयक तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य प्रशिक्षण दल कार्यरत हैं तथा हर स्तर पर विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

ferkfuuk dk ;kxnku%& कार्यक्रम के प्रभाव को 6 विशेष कार्यक्षेत्रों में, मितानिनों की सक्रियता के आधार पर देखा जाता है:–

- किसी भी घर में प्रसव होने पर वहां पहुंचना तथा नवजात एवं मातृ रक्षा की सलाह देना।
- गर्भवती महिलाओं की संभावित प्रसव तिथि के आधार पर, उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना और यदि घरेलू प्रसव हो रहा है तो सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक सलाह देना।
- पारा मोहल्ला के अंतर्गत लोगों को कुछ खास बीमारियों के लिए प्रारंभिक उपचार तथा दवाई उपलब्ध कराना तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में भेजना।

- स्वास्थ्य सेवा की बढ़ोत्तरी हेतु टीकाकरण तथा प्रसव पूर्व जांच के लिए लोगों को प्रेरित करना एवं इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. से समन्वय करना।
- पारा मोहल्ला में विभिन्न स्तर के कुपोषित बच्चों की जानकारी रखते हुए उनके परिवारों को आवश्यक सलाह देना तथा इलाज के लिए प्रेरित करना।
- महिलाओं के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य संगठन के निर्माण तथा पारा स्तरीय गतिविधियों में सक्रिय रहना।
- ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन में सहयोग करना, विशेषकर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की संयोजक के रूप में।
- प्रत्येक माह (20000) ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लगभग 1600 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर मितानिनें भाग ले रहीं है।
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मध्यान्ह भोजन, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम अंतर्गत पारा स्तर पर समस्याओं को पहचानना और अलग अलग स्तर पर हल हेतु प्रयास करना।

- मितानिनों के लिए व्यवहार परिवर्तन किट अंर्तगत स्थानीय भोजन पर पुस्तक, प्रमुख संदेशों पर फिल्प चार्ट, तास के पत्ते का सेट, 3 फिल्म का एक निर्णय चार्ट के ऊपर प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।
- ''मुख्य मंत्री दवा पेटी योजना'' कुल चयनित 60092 मितानिनों में से 59489 मितानिनों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर मुख्यमंत्री दवापेटी गत चार वर्षो से प्रदान की रही है। तथा लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। पारा स्तर पर सहीं समय पर इलाज की जरूरत के लिये मितानिन उपलब्ध रहती है। जिसके लिए मुख्यमंत्री दवापेटी योजना का प्रावधान किया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति 2 माह में एक बार की जाती है।
- विशेष जनजाति वाले मितानिनों की पहचान हो चुकी है, जिनकी संख्या लगभग 500 है। वह अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिंछवार और पहाड़ी कोरबा से है, इनके विशेष प्रशिक्षण की कार्य योजना है।
- इस वर्ष कुल 32 मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक एवं जिला स्त्रोत व्यक्तियों को चार वर्षीय बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा दाखिला दिलाया गया है। इसी प्रकार 300, दसवीं पास मितानिनों को ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया जारी हैं।
- राज्य सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री मितानिन कल्याणकारी कोष'' की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य मितानिनों को आवश्यकतानुसार वांछित सहायता पहुंचाना हैं।

ferkfuu gYi MLd%& वर्तमान में 15 जिला अस्पताल पर मितानिन हेल्प डेक्स और 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मितानिन हेल्प डेक्स सक्रिय रूप से चल रहा है।

tu ifrfuf/k;ksa dh Hkwfedk%&

- स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सामाजिक योजनाओं में जनभागीदारी बढ़ाना। श्रमदान, अनाज बैंक जैसे कार्यो को ग्रामों में सुनिश्चित करना।
- स्वस्थ पंचायत के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के माध्यम से सभी पंचायतों के व्यवहारिक स्वास्थ्य योजना बनाने तथा उसके सफल कियान्वयन में सहयोग देने हेतु मितानिनों को तैयार करना।
- व्यवहार परिवर्तन एवं संचार किट पर मितानिन को प्राप्त प्रशिक्षण पश्चात् ज्यादा से ज्यादा परिवार भ्रमण के मितानिन को सहयोग देना।
- राष्ट्रीय कार्यकमों – क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यकम, मलेरिया और जननी सुरक्षा योजना आदि पर मितानिन को प्रोत्साहन दिलाने में।

- स्वयं सेवी मितानिनों का सम्मान पंचायत/ग्राम स्तर पर सुनिश्चित करना। ANM-, मितानिन, सचिव के मध्य समन्वय हेतु विशेष प्रयास कराने हेतु प्रयास करना।
- मितानिनों को इलाज हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों CHC, PHC, जिला अस्पताल में निःशुल्क एवं सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान कराना।
- संयोजक मितानिनों को सहायता देना।
- ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में ग्राम स्वास्थ्य योजना के आधार पर स्वास्थ्य/स्वच्छता व पोषण संबंधी बिंदुओं को सम्मिलित करना। इसमें जनपद व जिले स्तर के संबंधित बिंदुओं हेतु अग्रिम कार्रवाई करना।

dk;Øe dk dk;kZUo;u & राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित।

कार्यक्रम की रूप रेखा, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़ द्वारा।

मुख्यमंत्री स्वस्थ्य पंचायत योजना

iLrkouk%

मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में गत तीन वर्ष से संचालित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों के काम में स्वास्थ्य की जगह बनाना एवं स्वास्थ्य के मुददों पर पंचायतों की भूमिका को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत योजना को क्रियान्वित करने हेतु ग्राम पंचायतों की स्वास्थ्य स्थिति को नापने के लिये सूचकांकों को विकसित किया गया है।

dk;Zde dk mnns';%

- समुदाय, विशेष कर पंचायत के सदस्यों को पंचायत एवं पारा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति एवं पहुंच की जानकारी हो सकें।
- पंचायतों के समग्र प्रदर्शन को परिभाषित सूचकांकों के आधार पर उनके मजबूत, विशिष्ट और कमजोर पहलुओं की पहचान कर पंचायतों की रैंकिंग करना।

- पंचायत के साथ –साथ उच्च स्तर पर अधिक अभिशरण के लिये हितग्रहियों को बढ़ाना देना।
- प्रत्येक पंचायतों में रैंकिग में सुधार के साथ–साथ उनकी अपनी स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने हेतु स्वास्थ्य पंचायत योजना के निमार्ण और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

;k tuk fd ;kUo;u d ie[k pj.k%

1- ekuo fodkl lpdkdk dk p;u%

वर्तमान में पंचायत की स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, स्वास्थ्य संबंधी सामुदायिक व्यवहार, पोषण, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता के पहलुओं की स्थिति को नापने हेतु 10 मानव विकास सूचकांक किया गया है, जिनमें सहस्त्राब्दि विकास उददेश्यों (एम.डी.जी.) से जुड़े महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार राज्य की हर पंचायत के लिए एम.डी.जी. की निगरानी स्वस्थ पंचायत सूचकांको के माध्यम से की जा सकती है। जो कि निम्नानुसार हैः–

- संस्थागत प्रसव।
- मच्छरदानी का उपयोग।
- सुरक्षित पेयजल।
- रोजगार गारंटी योजना।
- एक साल तक के उम्र में बच्चों की मौत।
- 6–12 माह के बच्चों में ऊपरी आहार।
- पेयजल स्त्रोतों की सुरक्षा।
- शौचालय का उपयोग।
- स्कूल नामांकन।
- बच्चों में कुपोषण।

2- vkdMk ,d=hdj.k@lxg.k%&

राज्य के लगभग 3000 मितानिन प्रशिक्षकों को उपरोक्त सूचकांको पर पारा स्तरीय आकड़ा एकत्रीकरण हेतु प्रशिक्षण दिया गया। आकड़ा संग्रहण, पारा स्तरीय बैंठकों एवं परिवार सर्वेक्षण के संयोजन के माध्यम से किया गया। इस प्रक्रिया में पंचायत के अधिकांश वार्ड पंच शामिल हुए। यह एक समन्वित प्रयास था जिसमें पंचायत के प्रमुख प्रतिनिधि, सेवा प्रदायकर्ताओं जैसे –ए.एन.एम. आगंनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ सामुदाय के अन्य सदस्य भी शामिल हुए।

एकत्रित पारा स्तरीय आकड़ों को पंचायत समेकन प्रपत्र में समेकित गया। प्रत्येक पंचायतों के सरपंच द्वारा पंचायत समेकन प्रपत्र की पुष्टि की गई। पंचायत समेकन प्रपत्र की एक प्रति पंचायत को प्रदान की गई, ताकि वह कमजोर पारा और पंचायत के प्रमुख व कमजोर पहलूओं को पहचान सकें।

3- vkdMk dk fo'y"k.k %&

राज्य के 146 में से 143 विकासखण्डों 9295 पंचायतों एवं 58989 ग्रामीण पारों के आकड़ों का कम्प्यूटीकरण राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, द्वारा रायपुर में किया गया। पारा स्तरीय आकड़ों को पंचायत

स्तरीय सूचकांको पर समेकित किया गया। प्रत्येक सूचकांको का प्रतिशत निकाला गया। राज्य में प्रत्येक पंचायत के लिये समग्र स्वास्थ्य एवं मानव विकास सूचकांक की गणना की गई।

4- iapk;r Lrjh; ekuo fodkl lwpdkad dh x.kuk %&

सभी पंचायतों के लिये, प्रत्येक 32 सूचकांको पर स्कोर निकाला गया। प्रत्येक सूचकांकों के लिये, विकासखण्ड में अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिशत निकाला गया। सूचकांक–स्कोर निकालने के लिये मानव विकास सूचकांक के सूत्र का उपयोग किया गया:–

okLrfod izfr'kr & U;wure izfr'kr

Ldksj ¾ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

vf/kdre izfr'kr & U;wure izfr'kr

अतः किसी भी पंचायत को मिलने वाला स्कोर उस विकासखण्ड के अन्य पंचायतों के प्रदर्शन से तुलनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।

5- iapk;r dh jSfdax ,oa Js.kh@oxhZdj.k %&

समग्र मानव विकास सूचकांकों के स्कोर के आधार पर प्रत्येक विकासखण्ड के पंचायतों की रैंकिग तैयार की गई। इस प्रकार, किसी भी पंचायत के लिये हम देख सकते हैं कि उस विकासखण्ड में वह अन्य पंचायतों की तुलना में किस स्थिति में है। उनके रैंकिग के आधार पर प्रथम दो एवं अंतिम दो पंचायतों को पुरूस्कार एवं सहयोग राशि प्रदान की गई।

राज्य में सभी पंचायतों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण सांख्यिकीय के औसत और मानक विचलन के आधार पर किया गया है। साथ ही उनको अलग–अलग रंग से संबोधित किया गया है ताकि समझने में आसानी हो सके।

Js.kh@oxhZdj.k	jax	ekinaM ¼ekuo fodkl lwpdkad esa izkIr vad dk vk/kkj ij½
अच्छा	हरा	एक मानक विचलन से ज्यादा
औसत		पीला औसत से अधिक व एक मानक विचलन तक
कमजोर	संतरा	औसत से कम व एक मानक विचलन तक
अति कमजोर	लाल	एक मानक विचलन से भी कम

उपरोक्त प्रक्रिया से आए परिणामों को स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन के वेब साइट **www.cghealth.nin.in** में अपलोड किया गया है साथ ही वर्ष 2007 के सर्वेक्षण के परिणामों को राज्य के सभी पंचायतों, विकासखण्ड, जिला एवं राज्य अधिकारियों हेतु प्रिंटिंग कर भेजा जा रहा है।

tu ifrfuf/k;ksa ls vi{kk&

पंचायत, विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा विकासखण्ड एवं जिले में अच्छा व कमजोर प्रदर्शन करने वाले पंचायत एवं अन्य पंचायतों की तुलना में किस स्थान में खड़ा है इसका विश्लेषण कर ग्राम स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय योजना बनाने में मददगार होगी।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के तकनिकी सहयोग से मितानिन संरचना द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

iLrkouk

ग्रामों के संपूर्ण विकास के लिए संविधान की धारा 40 की मूल भावना अनुसार 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुरूप हमारे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद पचायतों व जिला पंचायतों का गठन किया गया है। ग्रामों के विकास हेतु कई कार्यो को उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं। चूकि पंचायतों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, और सरपंच द्वारा सभी कार्यो का निर्वहन भी अकेले नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्यो को सुचारु रुप से क्रियान्वियत करने के लिये नवीन संषोधनों के साथ छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य व्यवस्था में 5 स्थायी समितियां बनाई गई है, जिनको अलग–अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है।

इन समितियों में से मानवीय संसाधनों के विकास से जुड़ी स्थायी समिति ''शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण ''समिति है। इन सभी समितियों का सभापति सरपंच होता है तथा चार पंच सदस्य होते हैं। उपसरपंच प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होता है। ''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' के अंतर्गत मिले अवसर का लाभ लेते हुए ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (Village Health And Sanitation Committee) का गठन किया है। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के द्वारा पंचायतीराज अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थायी समिति ''शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति'' का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, जिससे लोक स्वास्थ्य के व्यापीकरण में सफलता भी सुनिश्चित हो सकेंगी।

dk;lde dk mnn';

- ''ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति'' का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों की स्थाई समिति''शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति'' को कार्यशील बनाया जाना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर योजना बनाकर कार्य करें।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों या अन्य नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्थान देना।

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठकों में ''शिक्षा ,स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति'' के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा ताकि इससे संबंधित पारो, वार्डो या पंचायत के आश्रित ग्रामों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर तरीके से ग्राम स्तर पर चिन्हित कर पायेंगे और ग्राम वासी बैठक के द्वारा उस समस्या का निदान कर सकेंगे।

xke LokLF; ,oa LoPNrk lfefr dk fdz;kUo;u

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन हेतु छत्तीगढ़ शासन द्वारा एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसके सदस्यों, अध्यक्ष के चयन, संयोजक–सचिव के चयन सहित कार्य, उत्तरदायित्व, अनटाईड फंड के उपयोग संबंधी बातों का विवरण दिया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्येां की भूमिका भी स्पष्ट की है। इस समिति का गठन इस प्रकार किया गया है कि ग्राम में मौजूद सभी समितियों का लाभ लेते हुये पंचायत स्थायी समिति का सुदढ़ीकरण हो सके व ग्राम स्वास्थ्य योजना का निमार्ण हो सके।

orZeku fLFkfr%

- राज्य में 18587 ग्रामों में समिति का गठन किया जा चुका है। उनमें से 17733 समिति का खाता खोलकर 16633 समितियों में राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इन समितियों में लगभग 3 लाख से अधिक सदस्य चयनित किए गए है।
- राज्य में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के लगभग 65000 सदस्यों को ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिनमें से 1000 से ज्यादा ग्रामों में ग्राम स्वास्थ्य योजना का निमार्ण प्रारंभ हो चुका है।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के सदस्यों की भूमिका एवं जिम्मेदारी पर एक डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है जो की समिति की सक्रियता को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है।
- लगभग 10 से ज्यादा ग्रामों ने समिति को पंचायत भवन प्रदान किया है, जो कि समिति को एक संस्था का रूप दे रही है।
- लगभग 1000 से अधिक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के क्षेत्र अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आया है कि समितियां निम्न क्षेत्रों में योजना बनाकर अनटाईड फंड का उपयोग कर रही हैः–

dz-	*en*	*xfrfof/k*
1	स्वास्थ्य	बच्चों एवं बड़ों हेतु वजन मशीन खरीदना, केरोसीन स्प्रे, डिलिवरी टेबल, महामारी की जानकारी हेतु यात्रा व्यय, पोलियो/मलेरिया यात्रा के लिये बैनर, दीवार लेखन, नवजात के लिये दुध का प्रबंध, डिलिवरी हेतु आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्य रैली, शिशु संरक्षक माह के लिये रैली, मितानिन दवापेटी हेतु दवाई का प्रबंध करना, फिल्म प्रदर्शन।
2	स्वच्छता	नाली की साफ सफाई, हैण्ड पंप की सफाई, नाली निमार्ण, केरोसीन स्प्रे, मुर्रम, पानी टंकी का निमार्ण, दीवार निमार्ण, हैण्ड पंप का रिपेयर, नहानी का निमार्ण।

3	सामाजिक कार्य	मच्छरदानी, जानकारी बोर्ड, गरीबों के इलाज हेतु, संस्थागत प्रसव हेतु यात्रा व्यय, बैठने की जगह का निमार्ण, वृक्ष की कटाई, प्रेरणा दल यात्रा में सहयोग, बच्चों में कुपोषण एवं दस्त के इलाज हेतु, मरीज के आर्थिक सहयोग हेतु, मितानिन के नेम प्लेट हेतु, महिला के शादी के लिये आर्थिक सहयोग, टी.बी. के इलाज हेतु।
4	संस्थागत विकास	ड्रम, कुर्सी, दरी, रजिस्टर, फाइल, स्टेषनरी़ खरिदना, बैंक खाता खोलना, समिति हेतु बोर्ड निमार्ण, भवन निमार्ण कार्य हेतु।
5	प्रेरणा	प्रशिक्षित दाई को प्रसव हेतु प्रोत्साहन, सक्रिय सहयोग हेतु मितानिनों को प्रोत्साहन।

tu ifrfuf/k;k ls vi{kk&

स्थानीय स्तर पर समिति के सदस्यों व गांव के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में गांव की समस्याओं पर चर्चा कर इन समस्याओं के समाधान हेतु पंचायत, जनपद व अन्य स्तर पर ले जाना व प्रयास कर समस्या के समाधान को सुनिश्चित करना।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के तकनिकी सहयोग से मितानिन संरचना द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

अन्य राज्य प्रवर्तित महत्वपूर्ण योजनाएँ

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना

योजना का उद्देश्य	–	योजना के तहत गरीब/अत्यंत निर्धन परिवारों को खाद्यान्न के रुप में 1 रुपये/2 रुपये प्रति किलो चॉवल प्रदान करना।
पात्रता	–	ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के गरीब परिवार
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
संपर्क	–	ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत

छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना

योजना के उद्देश्य	–	योजना के तहत् अनुसूचित जाति/ जनजाति सहित गरीब परिवारों को प्रतिमाह 2 किलों आयोडिन युक्त नमक निःशुल्क प्रदान करना।
पात्रता	–	ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के गरीब परिवार
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
संपर्क	–	ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत

प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण योजना

योजना का उददेश्य	–	कृषि की ब्याज दर 14 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को कृषि ऋण प्रदान करना।
पात्रता	–	ग्राम पंचायत के किसान परिवार।
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	ग्राम पंचायत ।
संपर्क	–	सरपंच ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

सरस्वती साईकल योजना

योजना का उद्देश्य	–	हाईस्कूल स्तर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की छात्राओं को निःशुल्क साईकल प्रदान योजना।
पात्रता	–	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की छात्रायें।
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/विकासखंड़ शिक्षा अधिकारी
संपर्क	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ विकासखंड़ शिक्षा अधिकारी

वन भूमि का पट्टा योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अन्य परपंरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वनवासियों को अधिकार पत्र दिया जाना।
पात्रता	–	अनुसूचित जाति एवं अन्य परपंरागत वनवासी
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	वन विभाग
संपर्क	–	वन क्षेत्रीय अधिकारी, (ब्लाक स्तरीय)

निःशुल्क चरण पादुका योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत तेन्दुपत्ता संग्राहकों का निःशुल्क चरण पादुका का वितरण
पात्रता	–	तेन्दु पत्ता संग्राहक
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
संपर्क	–	वन क्षेत्रीय अधिकारी, (ब्लाक स्तरीय)

किसान समृद्धि योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत सिंचाई नलकुप के लिये सामान्य वर्ग के किसानों को अनुदान 25 हजार रुपये प्रदान करना।
पात्रता	–	सामान्य वर्ग के किसान
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/कृषि विभाग
संपर्क	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत /फील्ड अधिकारी, कृषि विभाग

मुख्यमंत्री बाल हृद्य योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत हृदय रोग के पीडित 5 से 15 वर्ष तक के आयु के बच्चों का इलाज एवं आपरेशन येाजना के तहत 1 लाख 20 हजार तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वाल्व बदलने की स्थिति में 50 हजार रुपये अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
पात्रता	–	5 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/स्वास्थ्य विभाग
संपर्क	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/स्वास्थ्य विभाग के ब्लाक चिकित्साधिकारी ।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत 6 वर्ष तक के आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर आंागनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से नजदीकी सरकारी अस्पताल में भेजकर स्वास्थ्य परिक्षण एवं इलाज। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी डाक्टर की अनुशंसा पर निजी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना।

पात्रता	–	6 वर्ष तक आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे ।
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	खंड स्तरीय चिकित्साधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।
संपर्क	–	खंड स्तरीय चिकित्साधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन गरीब परिवार को मकान बनाने के लिये प्रति परिवार 9 सौ वर्ग फिट भूमि का वितरण।
पात्रता	–	ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन ग्रामीण परिवार ।
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।
संपर्क	–	सरपंच, ग्राम पंचायत / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

पहुॅच विहीन ग्रामों में अनाज बैंक योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत प्रदेश के पहुॅच विहीन तथा दुर्गम क्षेत्र में गरीबी रेखा जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूखमरी से बचाने हेतु 2000 अनाज बैक स्थापित कर खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार रखना एवं जरुरत पड़ने पर अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा श्रेणी परिवारों को एक वर्ष में अधिकतम 2 क्विटल चॉवल ऋण के रुप में उपलब्ध कराना।
पात्रता	–	अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा श्रेणी के परिवार।
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।
संपर्क	–	सरपंच, ग्राम पंचायत / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

उजियारा योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में केरोसिन (मिटटी तेल) वितरण को सुगम बनाने हेतु हाट बाजारेा में बिना राशन कार्ड के दो लीटर केरोसिन प्रदान करना।
पात्रता	–	ग्रामीण अंचल के मतदाता।
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	सरपंच, ग्राम पंचायत ।
संपर्क	–	सरपंच, ग्राम पंचायत ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 6 जिलें दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा के बी.पी.एल. परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। बीमित बी. पी.एल परिवार को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये का स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य बीमा पत्रक प्रदान करना। इस राशि से बीमित बी.पी.एल. परिवार के मुखिया और 4 सदस्य अपना इलाज शासकीय तथा अच्छे निजी चिकित्सालय में करा सकेगें।
पात्रता	–	छत्तीसगढ़ के चयनित 6 जिलों के बी.पी.एल. परिवार ।
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ब्लाक चिकित्साधिकारी ।
संपर्क	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ब्लाक चिकित्साधिकारी।

अन्नपूर्णा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना

योजना का उददेश्य	–	योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सामुदायिक विकास समिति से जुडी महिलाओं को रोजगार व्यवसाय एवं अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु भवन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के महत्वपूर्ण योजना।
पात्रता	–	सामुदायिक विकास समिति से जुड़े स्व–सहायता समूह एवं समितियॉ
क्रियान्वयन एजेन्सी	–	नगर पंचायत, नगर निगम एवं नगर पालिका
संपर्क	–	नगर पालिका अधिकारी / आयुक्त, नगर निगम

–––0–––

मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना

योजना का उददेश्य	–	6 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ इस योजना के तहत् जन्मजात मूक–बधिर पैदा होने वाले बच्चों की सर्जरी के माध्यम से *dkfDy;j bEIykV* किया जाता है तथा इस उपकरण के मदद से उनके सुनने एवं बोलने की क्षमता का विकास किया जावेगा। बी.पी.एल. परिवार के बच्चों की सर्जरी हेतु *6 yk[k* रूपये तथा ए.पी.एल. परिवार के बच्चों हेतु रूपये *4 yk[k* अनुदान की पात्रता होगी।
पात्रता	–	मूक बधिर बच्चे।
क्रियान्वयन एजेंसी	–	ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / स्वास्थ्य विभाग / नगर पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका।
संपर्क	–	अम्बेडकर अस्पताल में ई.एन.टी. विभागाध्यक्ष / सचिव स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ शासन / ब्लाक स्वास्थ्य अधिकारी / सी.इ.ओ जनपद पंचायत।

–––0–––

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

ifjp; %&

''छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान'' की स्थापना 24 अक्टूबर 2001 को हुई एवं संस्थान के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन 30 अप्रैल, 2005 को हुआ।

nf"V (Vision)

स्थानीय शासन के सभी स्तरों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, लोक सेवकों एवं नगरीय निकाय संगठनों के प्रतिनिधियों की विकसित क्षमता जिससे अधिकतम सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ के लिए संसाधनों का प्रबन्धन करते हुए एवं समावेशी एवं संवहनीय विकासय तथा सुशासन सुनिश्चित करना।

fe'ku&(Mission)

समावेशी एवं संवहनीय विकास के लिए नये उपयोगी ज्ञान का सृजन एवं प्रसार करते हुए, संस्थान एक विश्व स्तरीय उत्कृष्ट ज्ञान संस्था के रूप में विकसित होना चाहता है, ताकि संस्थान, छत्तीसगढ़ तथा भारत के अन्य राज्यों में ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन में सुधार हेतु मार्गदर्शन की योग्यता प्राप्त कर सकें।

"Sharing knowledge for Inclusive Growth"

dls igp&

परिसर रायपुर से जगदलपुर मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.43 पर ग्राम निमोरा में स्थित है। सड़क मार्ग से परिसर की दूरी रायपुर से 17 कि.मी. है। रेलमार्ग से रायपुर जंक्शन हावड़ा–मुंबई पथ पर स्थित है। वायु मार्ग से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, नागपुर एवं विशाखापटनम शहरों से सीधे रायपुर पहुंचा जा सकता है।

N-x-jkT; xkeh.k fodkl lLFkku
fuekjk] jk;ij & 492001 NÙkhlx<
njHkk"k% +91771&2473204]2473210
QDl% +91771&2473214
b&ey%+**ps.dir@nic.in**
*oc lkbV%***http://www.cgsird.gov.in**